महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

समग्र शिक्षा Samagra Shiksha

निपुण भारत

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक, ई–मेल द्वारा

राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः नि0का0/स0शि0/बजट/3063/2025–26 दिनांकः 01.9 2025

विषयः समग्र शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु बजट आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

समग्र शिक्षा अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर–प्रदेश हेतु स्वीकृत निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक नि0का0/स0शि0/सा0नि0का0/1766/2025–26 दिनांक 11 जून, 2025 द्वारा स्वीकृत कार्यों की विद्यालयवार सूची प्रेषित करते हुए प्रारम्भिक तैयारी पूर्ण कराये जाने हेतु विस्तृत निर्देश प्रेषित किये गये थे। वर्ष 2025–26 में स्वीकृत उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, सी0डब्लू0एस0एन0 शौचालय एवं बी0आर0सी0 पुनर्निर्माण हेतु प्राप्त स्वीकृति के क्रम में **कुल धनराशि रू0 19252.815 लाख** निम्न विवरणानुसार अवमुक्त की जा रही हैः–

(धनराशि रू0 लाख में)

	स्वीकृत निर्माण कार्य	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत	कुल स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1.	उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय	07	25.58	179.06	89.53 (50%)
2.	प्राथमिक विद्यालय पुनर्निर्माण	412	15.355	6326.26	3163.13 (50%)
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय पुनर्निर्माण	145	29.44	4268.80	2134.4 0(50%)
4.	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	1591	11.51	18312.41	9156.205(50%)
5.	बी0आर0सी0 पुनर्निर्माण	09	62.50	562.50	281.25(50%)
6.	सी0डब्लू0एस0एन0 शौचालय	2545	1.74	4428.30	4428.30
	कुल धनराशि				**19252.815**

उपर्युक्तानुसार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का जनपदवार विवरण संलग्न है **(संलग्नक–1)**।

उक्त निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है किः–

- जिला परियोजना कार्यालय द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किये गये प्रस्तावों के सापेक्ष, सम्बन्धित यू–डायस कोड के क्रम में ही निर्माण कार्य की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है, अतः **स्वीकृत निर्माण स्थल अपरिवर्तनीय हैं।**
- स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु निर्देशानुसार धनराशि उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, सी0डब्लू0एस0एन0 शौचालय एवं प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण कार्य हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति एवं बी0आर0सी0 पुनर्निर्माण हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

कार्यदायी संस्था से एम0ओ0ए0 (Memorendum of Agreement) करते हुए उसकी शर्तों के अनुसार हस्तान्तरित करते हुए कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

- **स्वीकृत निर्माण कार्यों को उपलब्ध कराये गये तकनीकी मैनुअल में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप कराया जाये।**
- अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत निर्माण कराये जाने वाले समस्त कार्यों की स्वीकृत इकाई लागत में कुल लागत का 01 प्रतिशत लेबर सेस सम्मिलित है, जिसे जनपद स्तर पर सम्बन्धित कार्यालय में जमा करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
- स्वीकृत समस्त निर्माण निर्धारित इकाई लागत (भारत सरकार द्वारा स्वीकृत) में ही पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है। स्वीकृत इकाई लागत से अतिरिक्त कोई धनराशि दिये जाने का समग्र शिक्षा अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है।

उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8), प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का पुनर्निर्माण कार्य, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, सी0डब्लू0एस0एन0 शौचालय एवं बी0आर0सी0 पुनर्निर्माण कराये जाने से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् हैः–

➢ **उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय (प्राथमिक विद्यालय का उच्चीकरण–कक्षा 6 से 8 तक):**

प्रदेश हेतु 07 प्राथमिक विद्यालयों के (कक्षा–8 तक) उच्चीकरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनका निर्माण कार्य भूकम्परोधी विधि से किया जाना है। उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय में कक्षा–6 से 8 तक के छात्र–छात्राओं के अध्ययन के लिये 03 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के भूकम्परोधी भवन (रैम्प सहित) का निर्माण कराया जायेगा। उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय भवन में 03 कक्षा–कक्ष(6.25 X 5.50 मी0), बरामदा(3.00मी0 चौड़ा), मानक के अनुसार रैम्प, आन्तरिक वायरिंग तथा 30 सेट फर्नीचर (प्रत्येक कक्षा–कक्ष हेतु 10 सेट) का कार्य कराया जाना है। उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय का डिजाइन/ड्राइंग की प्रति संलग्न है **(संलग्नक–4)।**

➢ **जीर्ण–शीर्ण विद्यालयों का पुनर्निर्माण/नवनिर्माण**

शासनादेश संख्या 15/68–5–2019 दिनांक 22 जनवरी, 2020, शासनादेश संख्या 855/68–5–2020 दिनांक 03 सितम्बर, 2020, शासनादेश संख्या 1497/68–5–2020 दिनांक 04 दिसम्बर, 2021, शासनादेश संख्या 322/68–5–2022–178–2021 दिनांक 02 मार्च, 2022 तथा शासनादेश संख्या 1503/68–5–2023--178–2021 दिनांक 04 अगस्त, 2023 के अनुसार जीर्ण–शीर्ण विद्यालय के असुरक्षित होने तथा जनपद स्तर पर गठित तकनीकी तकनीकी समिति की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार नीलामी/ध्वस्तीकरण उपरान्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के पुनर्निर्माण का कार्य कराया जायेगा। जर्जर भवन का नवनिर्माण, उसी विद्यालय परिसर में कराया जायेगा जहां ध्वस्तीकरण योग्य पुराना भवन स्थित था अथवा है।

✓ पुनर्निर्माण प्राथमिक विद्यालय में 02 कक्षा–कक्ष (6.0 मीटर X 5.0 मी0), 01 कार्यालय कक्ष (4.0 मीटर X 3.30 मी0) तथा बरामदा (2.70 मी0 चौड़ा) रैम्प व आन्तरिक वायरिंग का कार्य कराया जाना है। प्राथमिक विद्यालय पुनर्निर्माण की डिजाइन/ड्राइंग की प्रति संलग्न है **(संलग्नक–5)।**

✓ पुनर्निर्माण उच्च प्राथमिक विद्यालय में 04 कक्षा–कक्ष (6.0 मीटर X 5.0 मी0), 01 कार्यालय कक्ष (4.0 मीटर X 3.30 मी0) तथा बरामदा (2.70 मी0 चौड़ा) रैम्प व आन्तरिक वायरिंग का कार्य कराया जाना है। उच्च प्राथमिक विद्यालय पुनर्निर्माण की डिजाइन/ड्राइंग की प्रति संलग्न है **(संलग्नक–6)।**

➢ **बी0आर0सी0 भवन पुनर्निर्माणः–**

✓ ब्लॉक संसाधन केन्द्र भवनों के पुनर्निर्माण कम्पोजिट (पार्शियली लोड वियरिंग एवं पार्शियली फ्रेम्ड) स्ट्रक्चर के आधार पर किया जाना है। इन भवनों के पुनर्निर्माण हेतु जनपद में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति स्तर पर कार्यदायी

संस्था (राजकीय निर्माण एजेन्सी) का चयन कराते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना है। चयनित कार्यदायी संस्था से निर्माण कराये जाने से पूर्व Memorandum of agreement(MOA) अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाये। बी0आर0सी0 पुनर्निर्माण के डिजाइन/ड्राइंग की प्रति संलग्न है **(संलग्नक–7)**।

- **अतिरिक्त कक्षा–कक्षः–**

  - ✓ अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की स्वीकृति यू–डायस कोड 2023–24 के आधार पर किये गये प्रस्ताव के सापेक्ष प्राप्त हुई है, यदि किसी विद्यालय की वर्तमान में छात्र संख्या कम अथवा अधिक हो जाती है, तो भी इनका निर्माण स्वीकृत विद्यालय में कराया जायेगा क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि आगामी वर्ष में वही छात्र संख्या स्थिर रहेगी अर्थात विद्यालय में प्रत्येक वर्ष छात्र संख्या में परिवर्तन की सम्भावना बनी रहती है। अतिरिक्त कक्ष–कक्ष का निर्माण– कक्ष की माप 8.0 X 6.0 मीटर, सामने 8.495 X 3.0 मीटर माप का बरामदा व रैम्प सहित कराया जायेगा। अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के डिजाइन/ड्राइंग की प्रति संलग्न है **(संलग्नक–8)**।

- **सी0डब्लू0एस0एन0 शौचालय :–**

  - ✓ दिव्यांग (विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे) छात्र–छात्राओं के प्रयोगार्थ उनकी सुविधा को दृष्टिगत् रखते हुए विद्यालयों हेतु स्वीकृत सी0डब्ल्यू0एस0एन0 शौचालय निर्माण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि विद्यालय में सी0डब्ल्यू0एस0एन0 शौचालय हेतु किसी अन्य योजनान्तर्गत निर्माण नहीं कराया जा रहा है अथवा अन्य स्रोतों से इसका निर्माण किया जाना पूर्व से प्रस्तावित नहीं है। शौचालय कक्ष की आन्तरिक माप 2.20 X 2.0 मीटर होगी। शौचालय के सामने चबूतरा का लेवल शौचालय कक्ष के फर्श के बराबर होगा। चबूतरे से रैम्प, जिसका ढाल 1:12 होगा, का निर्माण दोनो तरफ रेलिंग के साथ कराया जायेगा। शौचालय में ड्राइंग के अनुरूप उपयुक्त स्थान पर Horizontal Grab Rail, Vertical Grab Rail & Drop Down Rail लगाया जायेगा। सी0डब्ल्यू0एस0एन0 शौचालय की डिजाइन/ड्राइंग की प्रति संलग्न है **(संलग्नक–9)**।

निर्माण कार्य प्रक्रियाः

- उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण कार्य, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष एवं सी0डब्लू0एस0एन0 शौचालय की धनराशि अधिकतम 10 दिवस के अन्दर विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। खाते का परिचालन विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव(प्रधानाध्यापक) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
- बी0आर0सी0 भवन के पुनर्निर्माण हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति स्तर पर नामित कार्यदायी संस्था (राजकीय निर्माण एजेन्सी) को उनके साथ हस्ताक्षरित एम0ओ0ए0 के अनुसार धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी।
- **विद्यालय प्रबन्ध समिति के माध्यम से कराये जाने वाले कार्य शासनादेश संख्या 2223/79–5–2012–29/09 टी0सी0–।। दिनांक 06 जुलाई, 2012 द्वारा (संलग्नक–2)** निर्धारित निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कराया जायेगाः

  - ✓ विद्यालय सम्बन्धी समस्त निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से 04 सदस्यों की उप समिति निम्नवत् गठित की जाती हैः–
  - ✓ विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष
  - ✓ विद्यालय प्रबन्ध समिति के 02 अभिभावक सदस्य
  - ✓ विद्यालय प्रबन्ध समिति में समिति द्वारा नामित पदेन शासकीय सेवक, जो विद्यालय प्रबन्ध समिति का सदस्य हो(शिक्षकों से भिन्न)

- ✓ उक्त उप समिति के दो अभिभावक सदस्यों का चयन विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा बैठक/बहुमत के आधार पर किया जायेगा। उपसमिति के समस्त सदस्यों के विवरण यथा परिवार रजिस्टर, मतदाता सूची में विवरण को भी प्रधानाध्यापक द्वारा अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखा जायेगा तथा सदस्यों के मोबाइल नं0 भी अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखे जायेंगे।
- ✓ विद्यालय निर्माण हेतु गठित उप समिति के न्यूनतम तीन सदस्यों द्वारा विद्यालय निर्माण सामग्री का क्रय किया जायेगा। क्रय की गयी सामग्री का विवरण अध्यापक द्वारा साइट पंजिका में प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में अंकन किया जायेगा।
- ✓ निर्माण कार्य एवं अन्य उपरोक्त वर्णित कार्य समग्र शिक्षा अभियान द्वारा स्वीकृत डिजाइन/मैनुअल एवं स्वीकृत इकाई लागत के अनुसार कराया जायेगा।
- ✓ बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक के माध्यम से विद्यालय प्रबन्ध समिति को डिजाइन/मैनुअल इत्यादि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि समिति को आधारभूत वित्तीय नियमों/विशिष्टियों एवं प्राविधानों की जानकारी रहे।
- ✓ निर्माण सामग्री की गुणवत्ता तीन सदस्यों द्वारा प्रमाणित की जायेगी, जिसमें से एक सदस्य पदेन शासकीय सेवक होगा।
- ✓ विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी की जायेगी और गुणवत्ता सम्बन्धित शिकायत होने पर लिखित रूप से विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट विवरण सहित सूचित किया जायेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अवर अभियन्ता के साथ प्रश्नगत निर्माण कार्य की जांच करने के उपरान्त बेसिक शिक्षा अधिकारी को आख्या प्रस्तुत की जायेगी।
- ✓ विद्यालय के खाते का विधिवत् रख–रखाव तथा अभिलेख रखने का दायित्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा और ऑडिट के समय उनके द्वारा समस्त अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण तथा जांच कार्य की प्रक्रिया:

- ➢ जनपद में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सम्बन्धित ब्लाक संसाधन केन्द्र पर खण्ड शिक्षा अधिकारी व जिला समन्वयक(निर्माण) द्वारा अलग–अलग प्रकार के निर्माण कार्यों की विशिष्टिकाओं, मानक, ड्राइंग, डिजाइन, आगणन, निर्माण प्रक्रिया, वित्तीय प्रबन्धन तथा अभिलेखों के रख–रखाव आदि विषयक विस्तृत प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- ➢ भवन के निर्माण कार्यों में आवश्यकतानुसार तकनीकी पर्यवेक्षण व अनुश्रवण के सम्बन्ध में शासनादेश सख्या 389/15–5–2002–31/2002 दिनांक 20 मार्च, 2002 तथा शासनादेश संख्या 2085/79–5–2004–31/2002 दिनांक 10 अगस्त, 2004 के अनुसार जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति से अवर अभियन्ताओं तथा सहायक अभियन्ताओं को नामित कराकर कार्यवाही की जा सकती है।
- ➢ **शासनादेश संख्या 2223/79–5–2012–29/09 टी0सी0–।। दिनांक 06 जुलाई, 2012 में निहित प्राविधानों के क्रम में** बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक माह खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। **जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथा आवश्यकता निर्माण कार्यों की जांच एक टीम, जिसमें दो विभागों के अभियन्ता हों तथा एक शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, के द्वारा जांच कराने की कार्यवांही करायी जायेगी।** गम्भीर शिकायतों के प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से जांच कराने का भी विकल्प होगा।
- ➢ निर्माण कार्य शुरू होने के पूर्व, निर्माण के मध्य एवं निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त प्रधानाध्यापक द्वारा प्रश्नगत निर्माण की फोटो (03 साइड से दृश्य) खिंचवाकर खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखी जायेगी। निर्धारित प्रारूप पर सचिव एवं अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति, विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत् अवर अभियन्ता (जो कि निर्माण कार्य का प्रारम्भ से अन्त तक अनुश्रवण करते हुए तकनीकी पर्यवेक्षण प्रदान किये हों), जिला समन्वयक(निर्माण)

तथा सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण–पत्र **(संलग्नक–3)** जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

➢ जनपद हेतु स्वीकृत समस्त निर्माण संलग्न डिजाइन/ड्राइंग/आगणन व उपलब्ध कराये गये टेक्निकल मैनुअल में वर्णित मानकानुसार जिला समन्वयक(निर्माण) के तकनीकी पर्यवेक्षण में पूर्ण कराये जायेंगे। निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार सुनिश्चित किये जाने का दायित्व जिला समन्वयक(निर्माण), सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। अतः प्रत्येक माह जिला समन्वयक(निर्माण) विद्यालयों के निर्माण कार्य की निरीक्षण आख्या खण्ड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण के समय निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा प्रगति आदि पर निरीक्षणकर्ता की टिप्पणी सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/विद्यालय प्रबन्ध समिति के पास अवश्य रखी जाये।

स्वीकृत निर्माण कार्यों के लक्ष्य समर्पित किये जाने जैसी स्थिति कदापि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यदि स्वीकृत लक्ष्य के सापेक्ष किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, यथा– यू–डायस कोड में भिन्नता, छात्र नामांकन, स्थल उपलब्धता, विद्यालयों के ध्वस्तीकरण/नीलामी इत्यादि के सम्बन्ध में तो तत्काल राज्य परियोजना कार्यालय के संज्ञान में लाते हुए समस्या का निराकरण कराया जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद के लिए स्वीकृत समस्त निर्माण कार्यों को अनिवार्य रूप से राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक नि0का0/स0शि0/सा0नि0का0/1766/2025–26 दिनांक 20 जून, 2025 द्वारा दी गयी समय–सारिणी के अनुसार पूर्ण कराया जाये तथा प्रत्येक माह की 08 तारीख तक पी0एम0एस0 पोर्टल पर भौतिक तथा वित्तीय प्रगति अपलोड कराया जाना भी सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीया,

(कंचन वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: नि0का0/समग्रशि0अ0/ बजट/ 3063 **/2025–26** तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
3. वित्त नियंत्रक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तर–प्रदेश।
6. वैयक्तिक सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0।

(कंचन वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

Release Proposal 2025-26 (Excluding MR-School, MR-BRC and Furniture)

(Rs. in lakhs)

S. No.	District Name	Upgradation from PS to UPS			CWSN Toilet		Additional Classroom			Dilapidated (PS)			Dilapidated (UPS)			New BRC Building/ Reconstruction			Total Release Proposal (Col. 5+7+10+13+16+19)
		(@25.58)		50% of Approval	(@1.74)		(@11.51)		50% of Approval	(@15.355)		50% of Approval	(@29.44)		50% of Approval	(@62.50)		50% of Approval	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Phy	Fin	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Fin	Phy	Fin	Fin	Phy	Fin	Fin	Phy	Fin	Fin	Fin
1	AGRA		0.00	0.00		0.00	2	23.02	11.510	8	122.84	61.42	9	264.96	132.48		0.00	0.00	205.41000
2	ALIGARH		0.00	0.00	80	139.20	25	287.75	143.875	13	199.62	99.81	4	117.76	58.88		0.00	0.00	441.76250
3	AMBEDKAR NAGAR		0.00	0.00	16	27.84	5	57.55	28.775	1	15.36	7.68	1	29.44	14.72		0.00	0.00	79.01250
4	AMETHI - CSM NAGAR		0.00	0.00	15	26.10	23	264.73	132.365	5	76.78	38.39	1	29.44	14.72		0.00	0.00	211.57250
5	AURAIYA		0.00	0.00		0.00	3	34.53	17.265	3	46.07	23.03		0.00	0.00		0.00	0.00	40.29750
6	AZAMGARH		0.00	0.00	51	88.74	30	345.30	172.650	8	122.84	61.42	1	29.44	14.72		0.00	0.00	337.53000
7	BAGHPAT		0.00	0.00	8	13.92	5	57.55	28.775	8	122.84	61.42	4	117.76	58.88		0.00	0.00	162.99500
8	BAHRAICH		0.00	0.00	23	40.02	46	529.46	264.730	2	30.71	15.36	3	88.32	44.16		0.00	0.00	364.26500
9	BALLIA	1	25.58	12.79		0.00	10	115.10	57.550	4	61.42	30.71	2	58.88	29.44		0.00	0.00	130.49000
10	BALRAMPUR		0.00	0.00	195	339.30	12	138.12	69.060	1	15.36	7.68		0.00	0.00		0.00	0.00	416.03750
11	BANDA		0.00	0.00	59	102.66	149	1714.99	857.495	21	322.46	161.23	2	58.88	29.44		0.00	0.00	1150.82250
12	BARABANKI		0.00	0.00	52	90.48	44	506.44	253.220	19	291.75	145.87	4	117.76	58.88		0.00	0.00	548.45250
13	BAREILLY		0.00	0.00	10	17.40	24	276.24	138.120	8	122.84	61.42	3	88.32	44.16		0.00	0.00	261.10000
14	BASTI		0.00	0.00		0.00	4	46.04	23.020		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	23.02000
15	BHADOI		0.00	0.00	1	1.74	41	471.91	235.955	2	30.71	15.36	4	117.76	58.88		0.00	0.00	311.93000
16	BIJNOR		0.00	0.00		0.00	16	184.16	92.080		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	92.08000
17	BUDAUN		0.00	0.00		0.00	12	138.12	69.060	8	122.84	61.42	3	88.32	44.16		0.00	0.00	174.64000
18	BULANDSHAHR		0.00	0.00	19	33.06	8	92.08	46.040	4	61.42	30.71	1	29.44	14.72	1	62.50	31.25	155.78000
19	CHANDAULI		0.00	0.00		0.00	14	161.14	80.570	3	46.07	23.03	1	29.44	14.72		0.00	0.00	118.32250
20	CHITRAKOOT		0.00	0.00	85	147.90	5	57.55	28.775	9	138.20	69.10	3	88.32	44.16		0.00	0.00	289.93250
21	DEORIA		0.00	0.00	8	13.92	5	57.55	28.775	1	15.36	7.68		0.00	0.00		0.00	0.00	50.37250
22	ETAH		0.00	0.00	16	27.84	4	46.04	23.020	5	76.78	38.39	1	29.44	14.72		0.00	0.00	103.96750
23	ETAWAH		0.00	0.00		0.00	1	11.51	5.755	3	46.07	23.03	1	29.44	14.72		0.00	0.00	43.50750
24	FAIZABAD		0.00	0.00		0.00	9	103.59	51.795		0.00	0.00	3	88.32	44.16		0.00	0.00	95.95500
25	FARRUKHABAD		0.00	0.00	1	1.74	5	57.55	28.775	1	15.36	7.68	1	29.44	14.72		0.00	0.00	52.91250
26	FATEHPUR		0.00	0.00	26	45.24	12	138.12	69.060		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	114.30000
27	FIROZABAD		0.00	0.00	11	19.14	3	34.53	17.265	8	122.84	61.42	2	58.88	29.44		0.00	0.00	127.26500
28	GAUTAM BUDDHA NAGAR		0.00	0.00		0.00	79	909.29	454.645		0.00	0.00		0.00	0.00	3	187.50	93.75	548.39500
29	GHAZIABAD		0.00	0.00	5	8.70	31	356.81	178.405		0.00	0.00	1	29.44	14.72	1	62.50	31.25	233.07500
30	GHAZIPUR		0.00	0.00	9	15.66	22	253.22	126.610	9	138.20	69.10	3	88.32	44.16		0.00	0.00	255.52750
31	GONDA		0.00	0.00	28	48.72	9	103.59	51.795	3	46.07	23.03	1	29.44	14.72	1	62.50	31.25	169.51750
32	GORAKHPUR		0.00	0.00	193	335.82	7	80.57	40.285	2	30.71	15.36		0.00	0.00		0.00	0.00	391.46000
33	HAMIRPUR (U.P.)		0.00	0.00	13	22.62	17	195.67	97.835	12	184.26	92.13	5	147.20	73.60		0.00	0.00	286.18500
34	HAPUR (PANCHSHEEL NAGAR)		0.00	0.00	12	20.88	8	92.08	46.040		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	66.92000
35	HARDOI		0.00	0.00		0.00	3	34.53	17.265		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	17.26500
36	HATHRAS		0.00	0.00		0.00	5	57.55	28.775	13	199.62	99.81	12	353.28	176.64		0.00	0.00	305.22250
37	JALAUN		0.00	0.00		0.00	8	92.08	46.040	23	353.17	176.58	5	147.20	73.60	1	62.50	31.25	327.47250
38	JAUNPUR		0.00	0.00		0.00	6	69.06	34.530		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	34.53000

S. No.	District Name	Upgradation from PS to UPS			CWSN Toilet		Additional Classroom			Dilapidated (PS)			Dilapidated (UPS)			New BRC Building/ Reconstruction			Total Release Proposal (Co 5+7+10+13+16+19)
		(@25.58)		50% of Approval	(@1.74)		(@11.51)		50% of Approval	(@15.355)		50% of Approval	(@29.44)		50% of Approval	(@62.50)		50% of Approval	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Phy	Fin	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Fin	Phy	Fin	Fin	Phy	Fin	Fin	Phy	Fin	Fin	Fin
39	JHANSI		0.00	0.00	49	85.26	0	0.00	0.000	1	15.36	7.68	1	29.44	14.72		0.00	0.00	107.65750
40	JYOTIBA PHULE NAGAR (AMROH		0.00	0.00		0.00	3	34.53	17.265	5	76.78	38.39	1	29.44	14.72		0.00	0.00	70.37250
41	KANNAUJ		0.00	0.00	21	36.54	10	115.10	57.550	7	107.49	53.74	1	29.44	14.72		0.00	0.00	162.55250
42	KANPUR DEHAT		0.00	0.00	28	48.72	13	149.63	74.815	8	122.84	61.42	1	29.44	14.72		0.00	0.00	199.67500
43	KANPUR NAGAR		0.00	0.00	22	38.28	2	23.02	11.510	1	15.36	7.68		0.00	0.00		0.00	0.00	57.46750
44	KANSHIRAM NAGAR		0.00	0.00	4	6.96	10	115.10	57.550	12	184.26	92.13	3	88.32	44.16		0.00	0.00	200.80000
45	KAUSHAMBI		0.00	0.00		0.00	74	851.74	425.870	6	92.13	46.07	6	176.64	88.32		0.00	0.00	560.25500
46	KHERI	2	51.16	25.58	3	5.22	67	771.17	385.585	42	644.91	322.46	6	176.64	88.32		0.00	0.00	827.16000
47	KUSHINAGAR		0.00	0.00		0.00	5	57.55	28.775		0.00	0.00	1	29.44	14.72		0.00	0.00	43.49500
48	LALITPUR	1	25.58	12.79	7	12.18	13	149.63	74.815		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	99.78500
49	LUCKNOW		0.00	0.00	96	167.04	28	322.28	161.140	4	61.42	30.71	1	29.44	14.72		0.00	0.00	373.61000
50	MAHARAJGANJ		0.00	0.00	43	74.82	22	253.22	126.610	2	30.71	15.36		0.00	0.00		0.00	0.00	216.78500
51	MAHOBA		0.00	0.00	37	64.38	14	161.14	80.570	2	30.71	15.36		0.00	0.00		0.00	0.00	160.30500
52	MAINPURI		0.00	0.00	26	45.24	3	34.53	17.265	8	122.84	61.42	4	117.76	58.88		0.00	0.00	182.80500
53	MATHURA		0.00	0.00		0.00	10	115.10	57.550	8	122.84	61.42	8	235.52	117.76		0.00	0.00	236.73000
54	MAU		0.00	0.00		0.00	8	92.08	46.040	2	30.71	15.36	2	58.88	29.44		0.00	0.00	90.83500
55	MEERUT		0.00	0.00	27	46.98	18	207.18	103.590	6	92.13	46.07		0.00	0.00		0.00	0.00	196.63500
56	MIRZAPUR	1	25.58	12.79	251	436.74	77	886.27	443.135		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	892.66500
57	MORADABAD		0.00	0.00	3	5.22	4	46.04	23.020		0.00	0.00		0.00	0.00	1	62.50	31.25	59.49000
58	MUZAFFARNAGAR		0.00	0.00	22	38.28	20	230.20	115.100	3	46.07	23.03	1	29.44	14.72		0.00	0.00	191.13250
59	PILIBHIT		0.00	0.00	14	24.36	20	230.20	115.100		0.00	0.00	1	29.44	14.72		0.00	0.00	154.18000
60	PRATAPGARH		0.00	0.00	152	264.48	62	713.62	356.810	7	107.49	53.74	1	29.44	14.72		0.00	0.00	689.75250
61	PRAYAGRAJ		0.00	0.00	13	22.62	51	587.01	293.505		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	316.12500
62	RAE BARELI		0.00	0.00	1	1.74	6	69.06	34.530	3	46.07	23.03		0.00	0.00		0.00	0.00	59.30250
63	RAMPUR		0.00	0.00		0.00	12	138.12	69.060	8	122.84	61.42	3	88.32	44.16		0.00	0.00	174.64000
64	SAHARANPUR		0.00	0.00	284	494.16	25	287.75	143.875		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	638.03500
65	SAMBHAL (BHIM NAGAR)		0.00	0.00		0.00	17	195.67	97.835		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	97.83500
66	SANT KABIR NAGAR		0.00	0.00	7	12.18	1	11.51	5.755	3	46.07	23.03		0.00	0.00	1	62.50	31.25	72.21750
67	SHAHJAHANPUR		0.00	0.00	100	174.00	29	333.79	166.895	18	276.39	138.20	1	29.44	14.72		0.00	0.00	493.81000
68	SHAMLI (PRABUDH NAGAR)		0.00	0.00	6	10.44	9	103.59	51.795	4	61.42	30.71	1	29.44	14.72		0.00	0.00	107.66500
69	SHRAWASTI		0.00	0.00		0.00	0	0.00	0.000	9	138.20	69.10	3	88.32	44.16		0.00	0.00	113.25750
70	SIDDHARTHNAGAR		0.00	0.00	185	321.90	62	713.62	356.810	3	46.07	23.03	3	88.32	44.16		0.00	0.00	745.90250
71	SITAPUR		0.00	0.00	163	283.62	127	1461.77	730.885	28	429.94	214.97	12	353.28	176.64		0.00	0.00	1406.11500
72	SONBHADRA	1	25.58	12.79	12	20.88	5	57.55	28.775		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	62.44500
73	SULTANPUR		0.00	0.00	26	45.24	31	356.81	178.405	3	46.07	23.03	1	29.44	14.72		0.00	0.00	261.39750
74	UNNAO		0.00	0.00	4	6.96	17	195.67	97.835	2	30.71	15.36	2	58.88	29.44		0.00	0.00	149.59000
75	VARANASI	1	25.58	12.79	3	5.22	4	46.04	23.020		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	41.03000
	Grand Total	**7**	**179.06**	**89.53**	**2545**	**4428.30**	**1591**	**18312.41**	**9156.205**	**412**	**6326.26**	**3163.13**	**145**	**4268.80**	**2134.40**	**9**	**562.50**	**281.25**	**19252.81500**

संलग्नक-2

संख्या– 2223/79–5–2012–29/09 टी0सी0–11

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,,
लखनऊ ।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 06 जुलाई, 2012

विषयः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय संबंधी विभिन्न कार्य विद्यालय प्रबंध समितियों के माध्यम से कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के पत्रांक नि0का0/एसएसए/वि0प्र0सं0/ 1192/2012–13 दिनांक 20, जून, 2012 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत विद्यालय निर्माण कार्य, विद्यालय रख–रखाव, विद्यालय विकास अनुदान, शिक्षक अनुदान छात्र–छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म एवं अन्य कार्य " **विद्यालय प्रबंध समिति**" के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

विगत वर्षो में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न विद्यालय निर्माण कार्यों जैसे–विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, शौचालय, चहारदीवारी एवं विद्यालय अनुरक्षण, विद्यालय विकास अनुदान, शिक्षक अनुदान आदि कार्यों के क्रियान्वयन हेतु धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों के खाते में स्थानान्तरित करते हुए यह सभी कार्य ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था रही है।

उल्लेखनीय है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या 1739/79–5–2011–29/2009 टी0सी0 दिनांक 28 जून, 2011 द्वारा **"विद्यालय प्रबंध समिति"** का गठन सभी विद्यालयों में किया गया है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि विद्यालयों के विभिन्न कार्यों को विद्यालय प्रबंध समितियों के माध्यम से क्रियान्वित कराया जायें।

सर्व शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012–13 के सम्बन्ध में भारत सरकार के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक दिनांक 18–5–2012 के कार्यवृत्त में यह निर्देश दिये गये हैं कि विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन कराया जाये एवं उनके खाते खोले जायें ताकि शिक्षक अनुदान, विद्यालय निर्माण कार्य, विद्यालय अनुरक्षण अनुदान, विद्यालय विकास अनुदान, यूनीफार्म एवं इसी प्रकृति के अन्य कार्यों पर विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा ही सर्व शिक्षा अभियान के मापदण्डों/मानकों के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत निम्नलिखित कार्यों हेतु धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समितियों के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी और यह कार्य केवल विद्यालय प्रबन्ध समितियों के माध्यम से ही क्रियान्वित किये जायेगें

1. विद्यालयों में समस्त प्रकार के निर्माण कार्य जैसे– विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, चहारदीवारी, शौचालय, ओवर हेड टैंक।
2. विद्यालय भवन की मरम्मत एवं रख–रखाव।
3. विद्यालय विकास अनुदान।
4. शिक्षक अनुदान।
5. विद्यालय में छात्र–छात्राओं के लिए यूनीफार्म उपलब्ध कराना।
6. इस प्रकृति के कोई अन्य कार्य, जो राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्वीकृत हों एवं जारी निर्देशों से आच्छादित हों।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि **विद्यालय निर्माण कार्यों के दायित्व से विद्यालय के प्रधानाध्यापक/अध्यापक को मुक्त रखा जायेगा।** विद्यालय निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में व्यवस्था निम्नवत् की जायेगी:–

- विद्यालय सम्बन्धी समस्त निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से 04 सदस्यों की उप समिति निम्नवत् गठित की जाती है:
  1. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष
  2. विद्यालय प्रबन्ध समिति के 02 अभिभावक सदस्य
  3. विद्यालय प्रबन्ध समिति में समिति द्वारा नामित पदेन शासकीय सेवक, जो विद्यालय प्रबन्ध समिति का सदस्य हो (शिक्षकों से भिन्न)।
- किसी विवाद की स्थिति में पदेन शासकीय सेवक के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- उक्त उप समिति के 02 अभिभावक सदस्यों का चयन विद्यालय प्रबंन्ध समिति द्वारा बैठक/बहुमत के आधार पर किया जायेगा। उप समिति के समस्त सदस्यों के विवरण यथा परिवार रजिस्टर, मतदाता सूची में विवरण को भी प्रधानाध्यापक द्वारा अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखा जायेगा तथा सदस्यों के मोबाईल नम्बर भी अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखे जायेगें।
- विद्यालय निर्माण हेतु गंठित उक्त उप समिति के न्यूनतम 03 सदस्यों द्वारा विद्यालय निर्माण सामग्री का क्रय किया जायेगा। क्रय की गयी सामग्री का विवरण अध्यापक द्वारा साईट पंजिका में प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में अंकन किया जायेगा।
- निर्माण कार्य एवं अन्य उपरोक्त वर्णित कार्य सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्वीकृत डिजाइन/मैनुअल एवं स्वीकृत इकाई लागत के अनुसार कराया जायेगा।
- बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक के माध्यम से विद्यालय प्रबन्ध समिति को डिजाइन/मैनुअल इत्यादि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि समिति को आधारभूत नियमों/विशिष्टियों एवं प्राविधानों की जानकारी रहे।

Scanned with CamScanner

- निर्माण सामग्री की गुणवत्ता 03 सदस्यों द्वारा प्रमाणित की जायेगी, जिसमें से 01 सदस्य पदेन शासकीय सेवक होगा।
- मजदूरों की व्यवस्था विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष या किसी एक अभिभावक सदस्य द्वारा की जायेगी और साईट पंजिका में सामग्री क्रय तथा मजदूरों को किये गये भुगतान का विवरण अंकित किया जायेगा।
- उप समिति के सदस्यों द्वारा निर्माण कार्य/अन्य उपरोक्त वर्णित कार्य में क्रय/मजदूरी/ढुलाई अन्य सम्बन्धित वाउचर पर तिथि सहित प्रश्नगत कार्य को प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। यदि सदस्य किसी बिन्दु से असहमत हैं तो उनके द्वारा तद्नुसार अंकित भी किया जायेगा।
- समस्त निर्माण कार्यो को सम्पत्ति रजिस्टर (Asset Register) में तथा कय की गयी वस्तुओं को स्टाक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।
- निर्माण कार्यो की अलग–अलग पत्रावलियां बनायी जायेंगीं जिसमें प्रश्नगत निर्माण के संबंध में कार्यवृत्त, डिजाईन, मैनुअल, प्राप्त सामग्री एवं रसीदों आदि को व्यवस्थित किया जायेगा तथा साईट पंजिका भी साथ में रखी जायेगी। यह अभिलेख प्रधानाध्यापक द्वारा सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जायेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर उपसमिति के उपयोगार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- चूँकि निर्माण कार्य का आडिट भी प्रावधानित है अतः आडिट के समय प्रधानाध्यापक द्वारा इन अभिलेखों को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- निर्माण शुरू होने के पूर्व, निर्माण के मध्य एवं निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त प्रधानाध्यापक द्वारा प्रश्नगत भवन की फोटो भी खिंचवाकर साक्ष्य के रूप में रखी जायेगी।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी की जायेगी और गुणवत्ता सम्बन्धित शिकायत होने पर लिखित रूप में विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट विवरण सहित सूचित किया जायेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रश्नगत शिकायत के प्राप्त होने पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा / ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियन्ता के साथ प्रश्नगत निर्माण कार्य की जांच करने के उपरांत बेसिक शिक्षा अधिकारी को आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि विद्यालय निर्माण हेतु गठित उप समिति की संस्तुतियों के आधार पर वांछित धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते से निकलवाने में अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति को सहयोग प्रदान करेंगे ताकि धनराशि का आहरण न होने से निर्माण कार्य में व्यवधान होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

विद्यालय निर्माण कार्यो के अतिरिक्त अन्य उल्लिखित कार्यो के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक अधिकृत होंगे।

विद्यालय प्रबन्ध समिति का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक/शिड्यूल्ड बैंक में खोला जायेगा एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा। बिना बेसिक शिक्षा अधिकारी की लिखित अनुमति के खाते को किसी अन्य बैंक में स्थानान्तरित करने अथवा नया खाता खोलने की कार्यवाहीं नहीं

Scanned with CamScanner

की जा सकेगी। प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में विद्यालय प्रबन्ध समिति तथा निर्माण हेतु गठित उप समिति के अभिभावक सदस्यों को अद्यतन किया जायेगा और तदनुसार खाता संचालन में, यथावश्यकता, संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा। विद्यालय के खाते का विधिवत् रख–रखाव तथा अभिलेख रखने का दायित्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा और ऑडिट के समय समस्त अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक माह खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथा आवश्यकता निर्माण कार्यों की जांच एक टीम, जिसमें दो विभागों के अभियन्ता हों तथा एक शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, के द्वारा जांच कराने की कार्यवाही की जायेगी। गंभीर शिकायतों के प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्य पालक मजिस्ट्रेट से जांच कराने का भी का विकल्प होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या 2223 /79–5–2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
2. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ को समुचित अनुश्रवण हेतु।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रराज सिंह)
अनुसचिव।

Scanned with CamScanner

संलग्नक-3

समग्र शिक्षा
उपभोग प्रमाण–पत्र – वर्ष 2025–26
(निर्माण कार्य)

मैं .... प्रधानाध्यापक / सचिव .... (स्कूल / न्याय पंचायत / विकास खण्ड का नाम) वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 .... (अंकों एवं शब्दों में) में से रू0 ....(...............अंकों एवं शब्दों में) का उपभोग .... (मद का नाम) यू–डायस कोड (विद्यालय का) .... के कार्य पर किया गया है। यह कार्य समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार पूर्ण कराया गया है।

कार्य पूर्ण होने की तिथिः ....

हस्ताक्षर..
पूरा नाम..
पद : अध्यक्ष,
विद्यालय प्रबन्ध समिति
दिनांकः ....

हस्ताक्षर..
पूरा नाम..
पद : सचिव,
विद्यालय प्रबन्ध समिति
दिनांकः ....

प्रतिहस्ताक्षरित

हस्ताक्षर..
पूरा नाम..
पदः खण्ड शिक्षा अधिकारी
(विकास खण्ड का नाम)
दिनांकः ....

हस्ताक्षर..
पूरा नाम..
पदः जिला समन्वयक(निर्माण)
(जनपद का नाम)
दिनांकः ....

नोटः उपभोग प्रमाण–पत्र में समस्त अधिकारियों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

संलग्नक-4

उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय

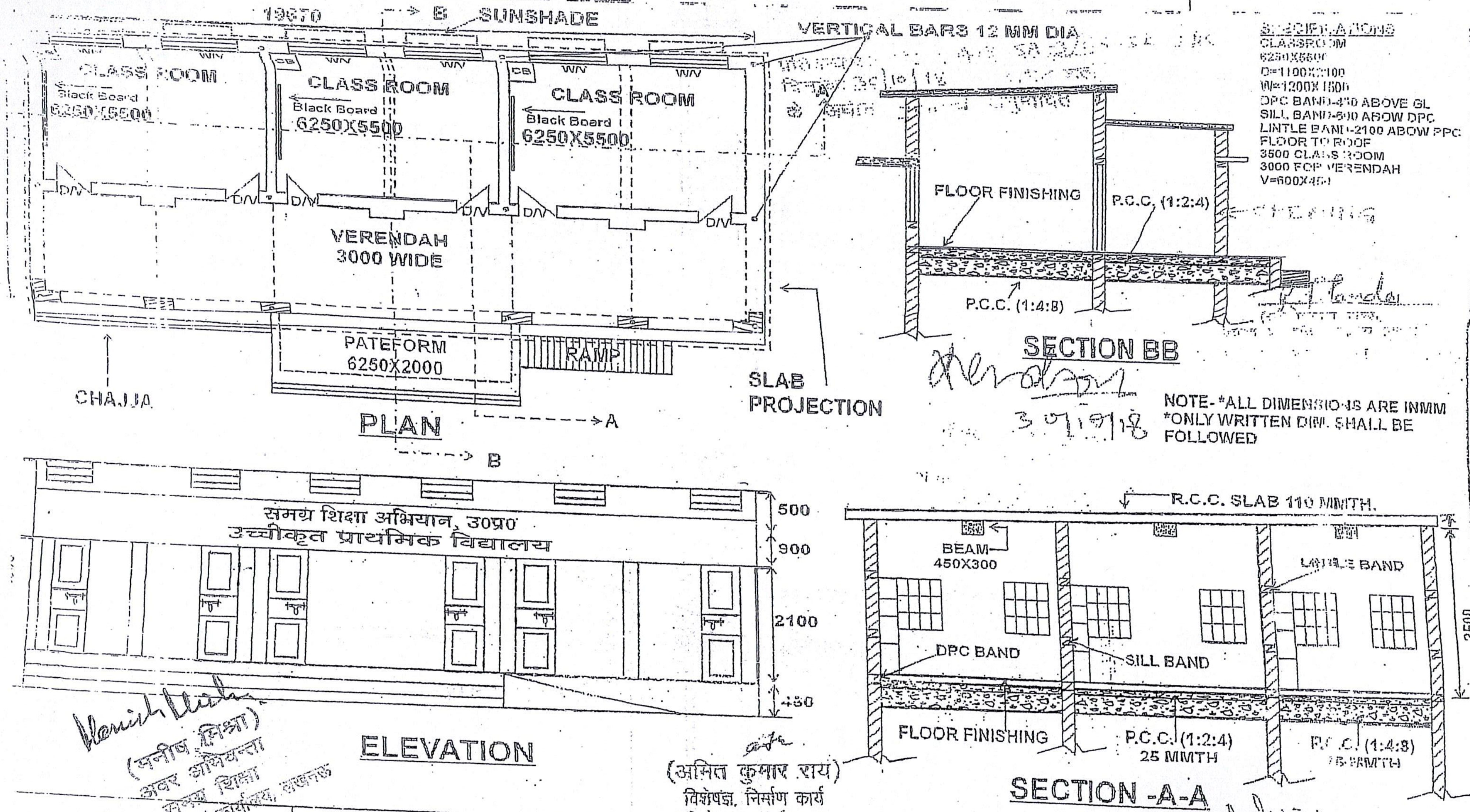

S.A. STANDARD SCHOOL MAP	DESIGN FOR UPGRADATION OF PS TO U.P.S. (WITH ANTI EARTH QUAKE PROVISIONS)	MANISH MISHRA J.E. SSA; J.E. SSA; DESIGN & DRAWN BY

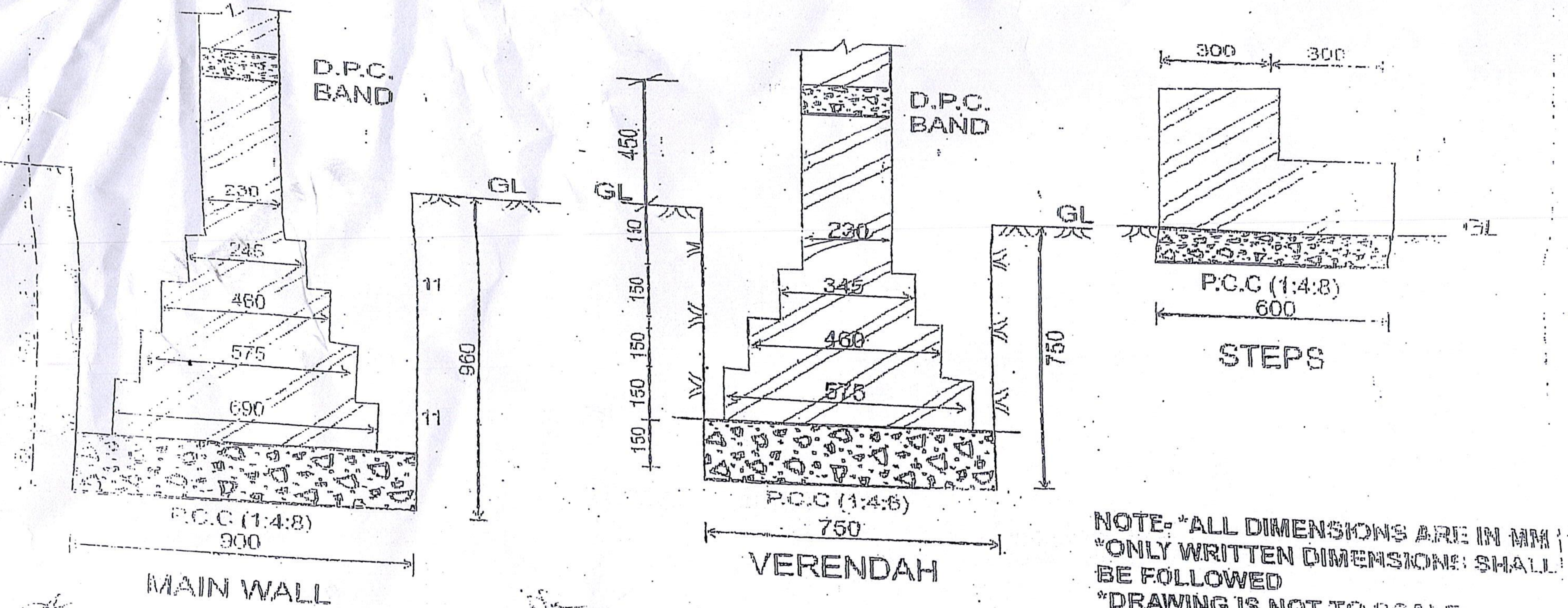

NOTE- *ALL DIMENSIONS ARE IN MM
*ONLY WRITTEN DIMENSIONS SHALL BE FOLLOWED
*DRAWING IS NOT TO SCALE

FOUNDATION DETAILS

S.S.A. STANDARD SCHOOL MAPS	DESIGN FOR UPGRADATION OF PS TO U.P.S. (WITH ANTI EARTH QUAKE PROVISIONS)	DESIGN & DRAWN BY

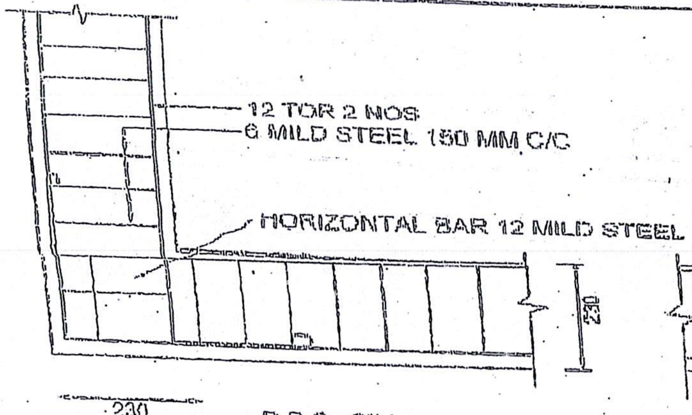

D.P.C., SILL
& LINTEL BANDS
AT L-JOINTS

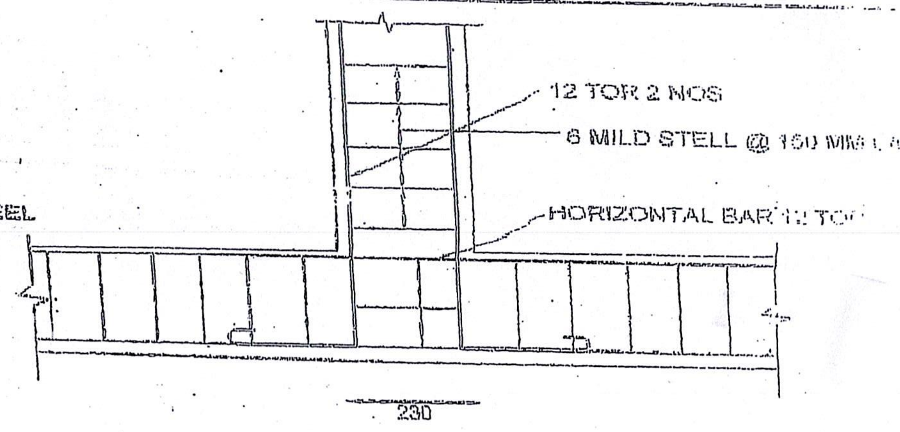

D.P.C., SILL & LINTEL BANDS
AT T-JOINTS

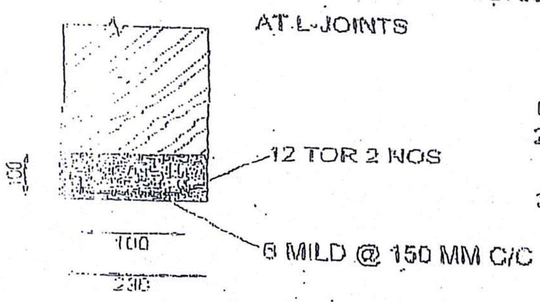

NOTE:-1. ALL THE CONCR4ETE IN BANDS & R.C.C. SHALL BE USED M 20 (1:1.5:3)
2. D.P.C. BAND SHALL BE CONSTRUCTED AT PLINTH. LEVEL BY REPLACING DAMP PROOF COURSE.
3. SILL BAND SHALL BE CONSTRUCTED AT SILL-LEVEL ALONG THE TOTAL WALL LENGTH
4. LINTEL BAND SHALL BE CONSTRUCTED AT LINTEL LEVEL ALONG REMAINING LENGTH OF WALL AFTER CONSTRUCTING PROPER LINTEL OVER DOORS & WINDOWS

(सुमित कुमार राय)
निरीक्षक, निर्माण कार्य
... परियोजना कार्यालय, लखनऊ

UPGRADATION OF PS ...

(WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS)

DRG.NO.		
S.S.A.STANDARD SCHOOL MAP	J.E.(B.E.S.M) J.E.(CM) S.S.A.	DESIGNED BY / DRAWN BY

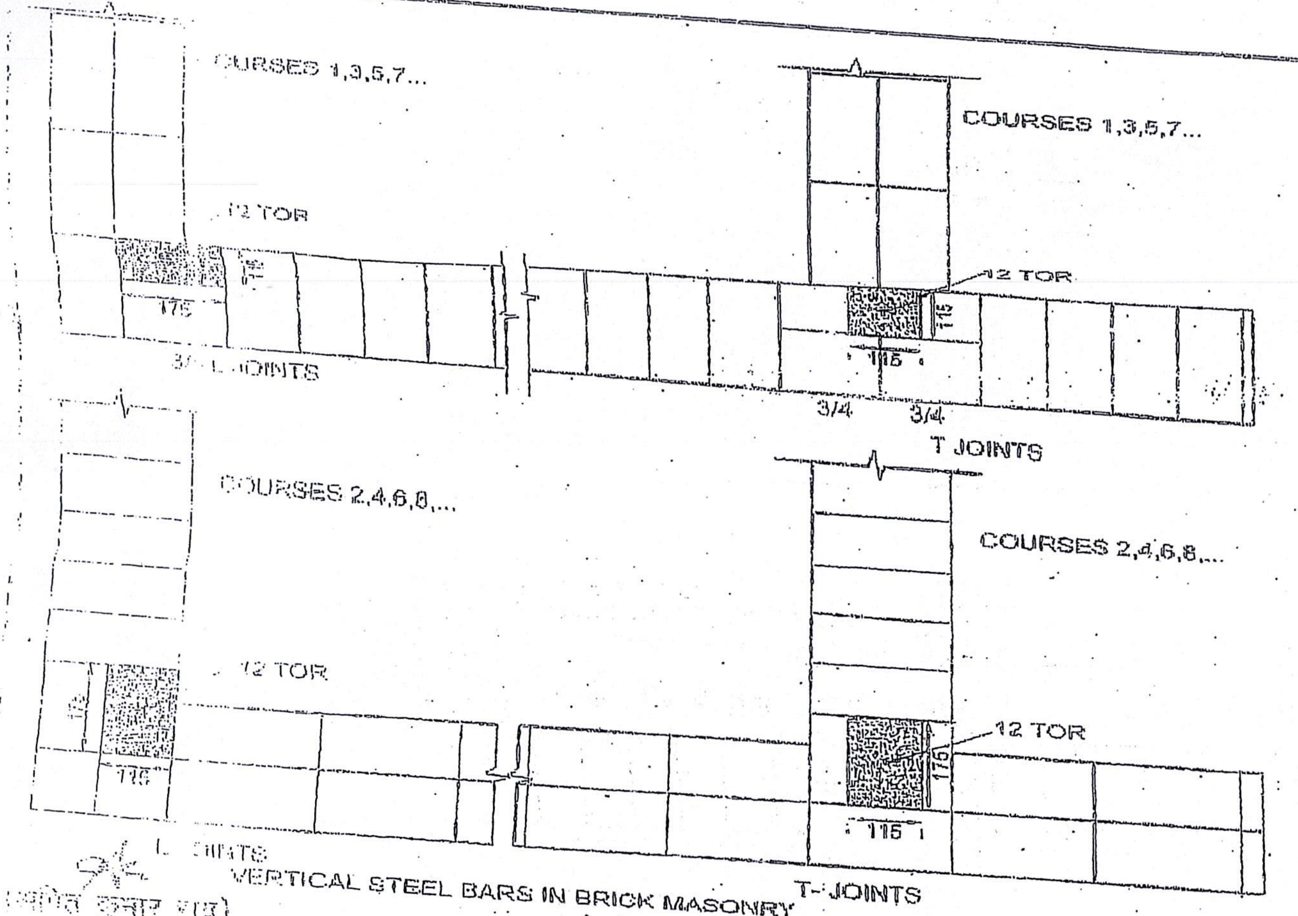

UPGRADATION OF P.S TO U.P.S
(WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS)

DRG.NO.

S.S.A.STANDARD
SCHOOL MAP
U.P.

J.E(B.E.Civil) J.E.(Civil)
S.S.A.

DESIGNED & DRAWN BY

28

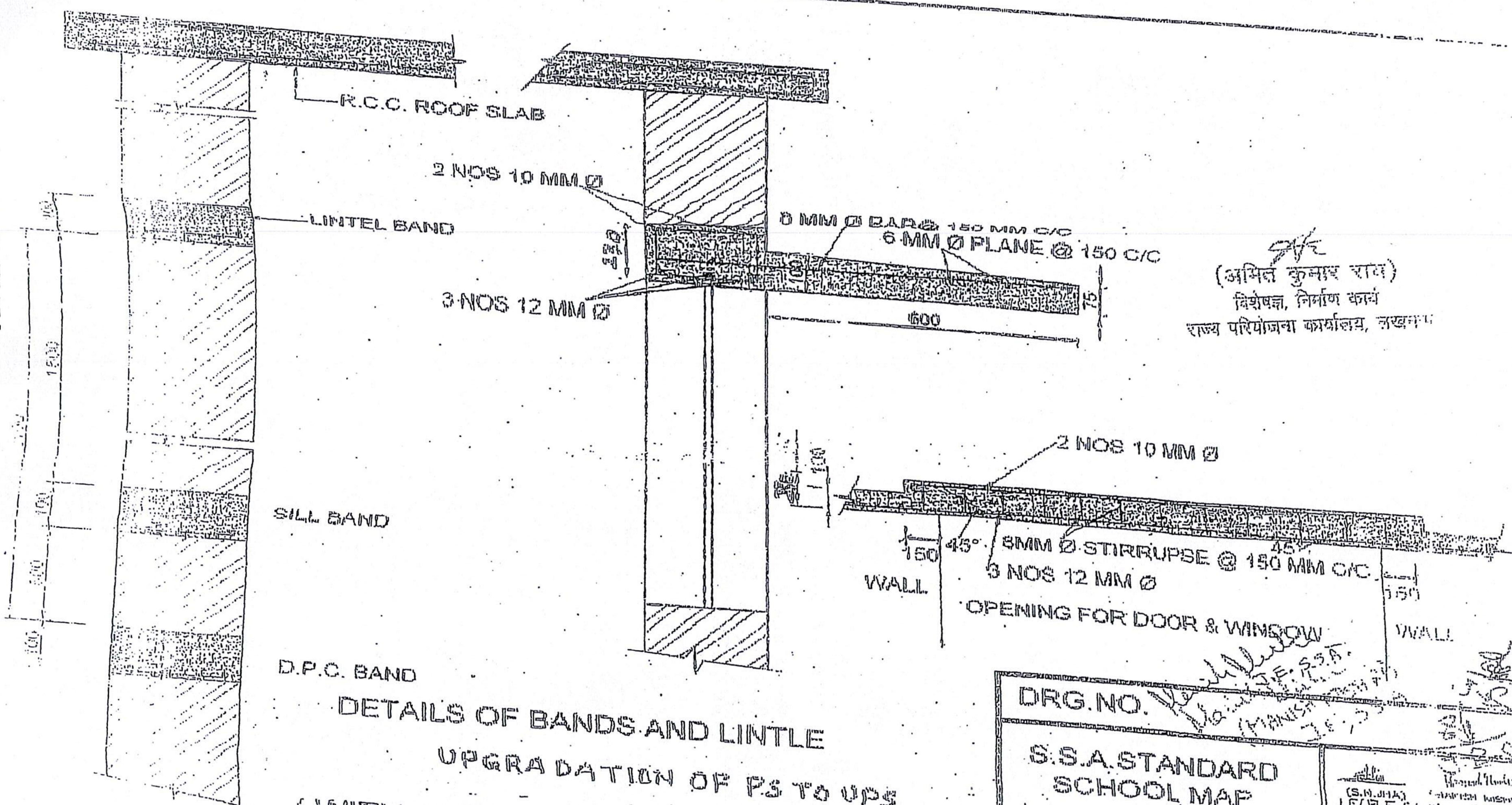

(अमित कुमार राय)
विशेषज्ञ, निर्माण कार्य
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

DETAILS OF BANDS AND LINTLE

UPGRADATION OF P.S TO UPS

(WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS)

DRG. NO.	
S.S.A. STANDARD SCHOOL MAP U.P.	(S.N.JHA) J.E.(B.E.C.) (HARISH MISHRA) J.E.(Civil) S.S.A. SPO, LUCKNOW DESIGNED & DRAWN BY

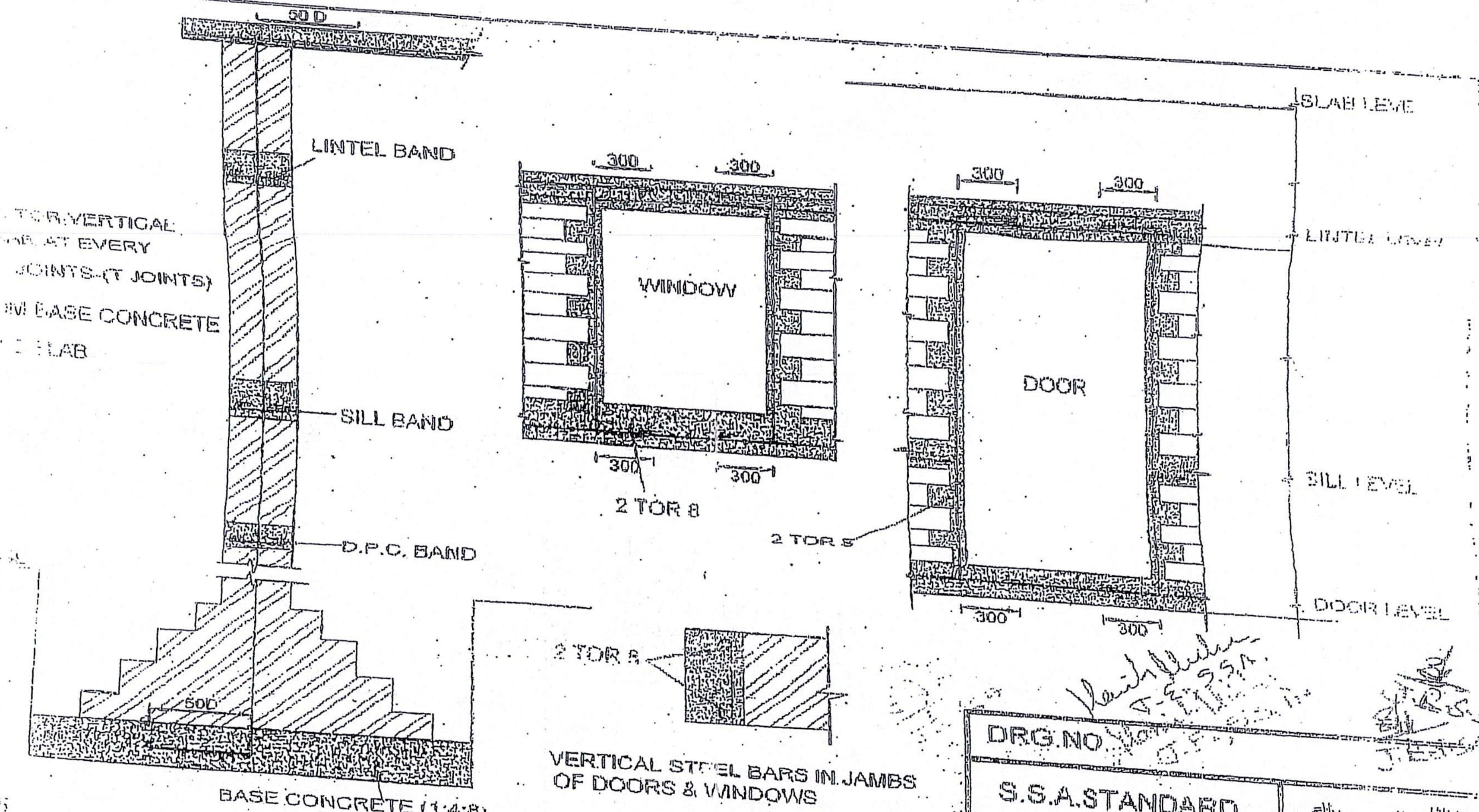

UPGRADATION OF PS TO UPS

DRG.NO

S.S.A.STANDARD
SCHOOL MAP
U.P.

S.P.O. LUCKNOW
S.S.A.
DESIGNED &
DRAWN BY

कार्यालय, लखनऊ

38

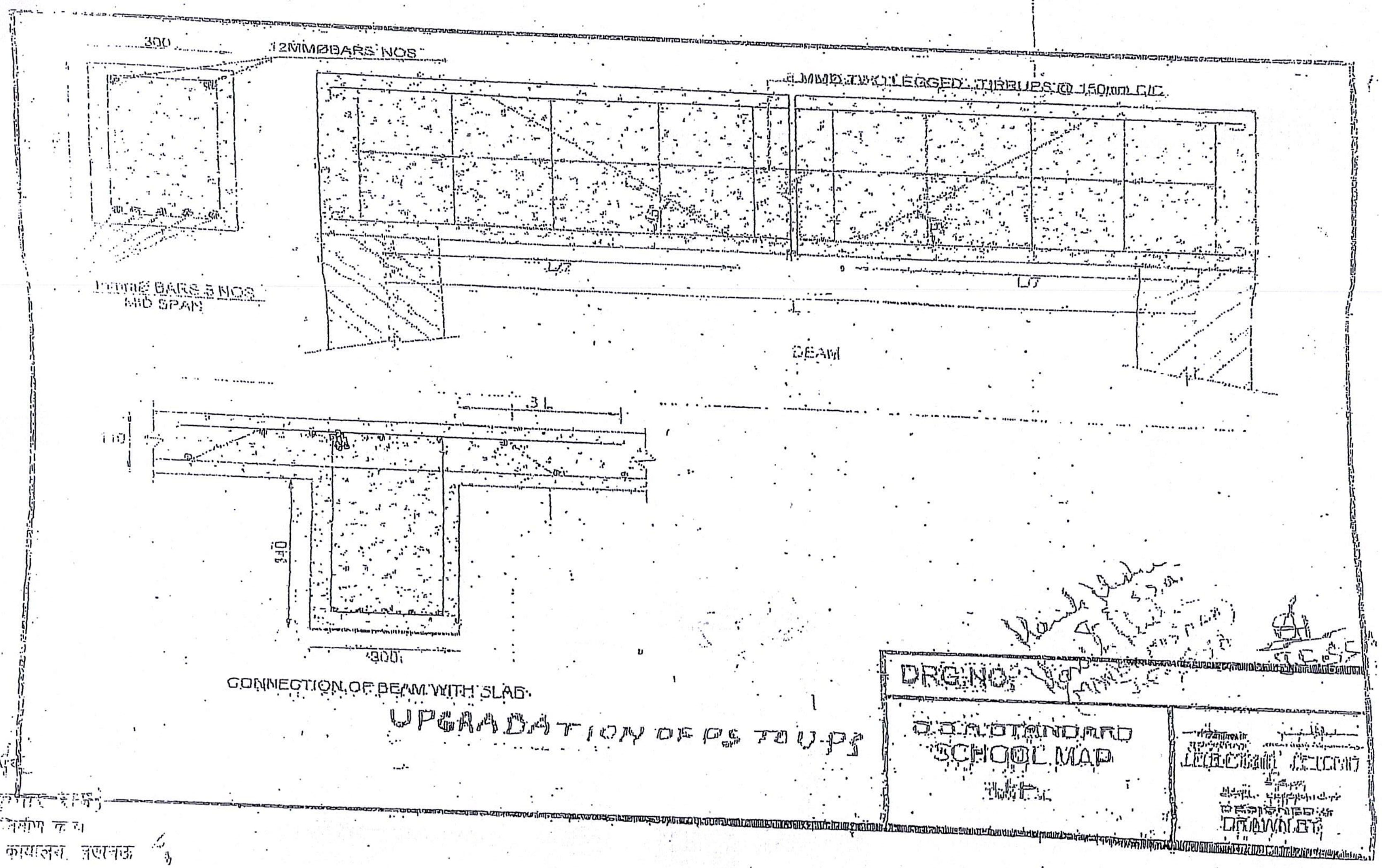
300
12MMØBARS NOS
MMØ TWO LEGGED STIRRUPS @ 150mm C/C
BARS 3 NOS
MID SPAN
L/7
L/7
BEAM
3 L
110
300
CONNECTION OF BEAM WITH SLAB
UPGRADATION OF PS TO U.PS
DRG.NO.
STANDARD
SCHOOL MAP
DRAWING

कार्यालय, लखनऊ

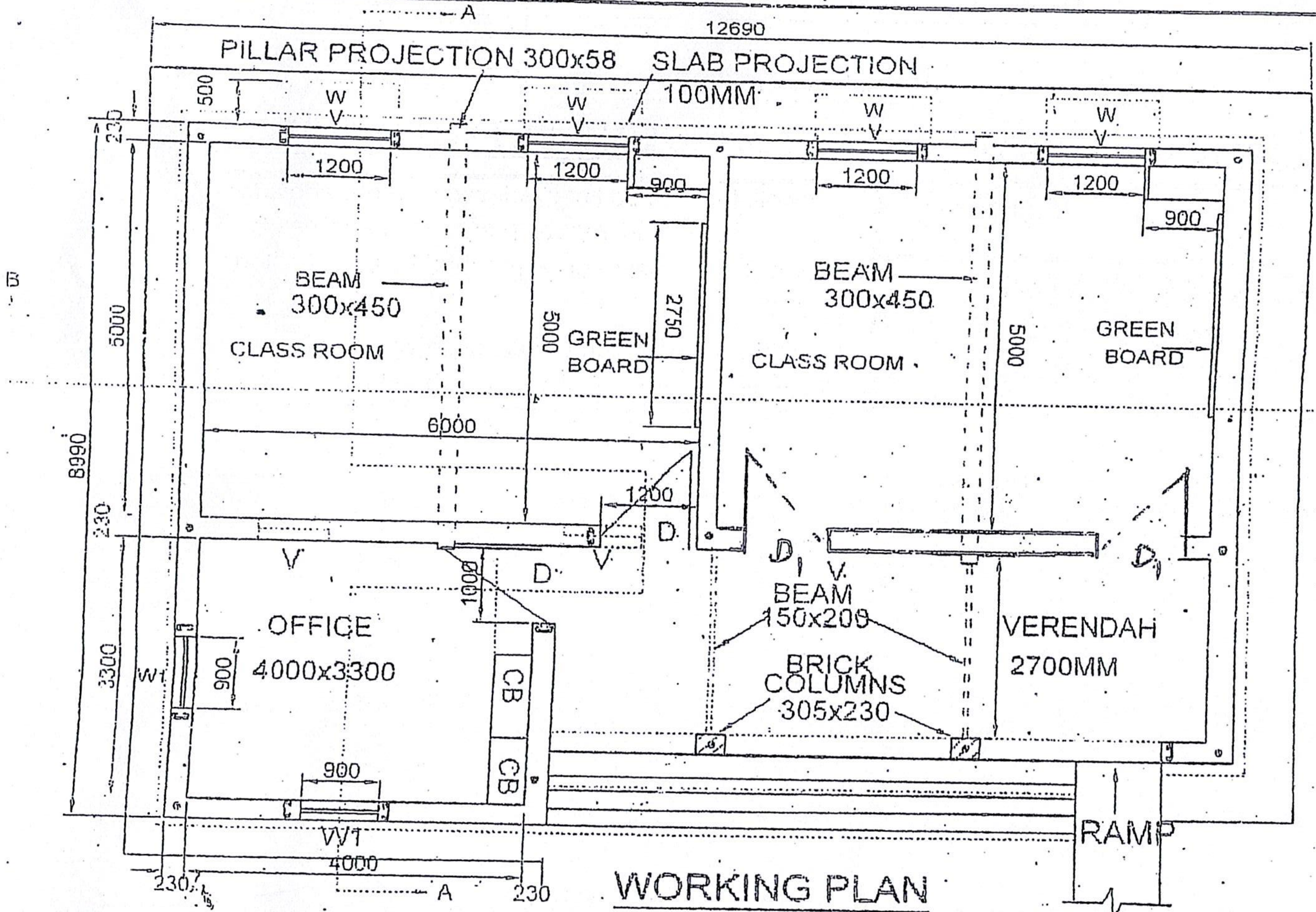

WORKING PLAN

PS DESIGN NO.1 (WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS)

* ALL DIMS. ARE IN MM
* ONLY WRITTEN DIMS SHALL BE FOLLOWED

NOTES -
1. All the written Dimensions are in mm which shall be strictly followed.
2. Building Layout shall be done under the guidence of J.E/A.E.
3. All R.C.C works shall be excuted under the supervision of J.E/A.E. by J.E./A.E. Before casting.
4. Centering shuttering and all types of Reinforcement shall be checked
5. All the sesmic provision must be done according to specifications.

DRG.NO. 2

S.S.A. STANDARD
SCHOOL MAP
U.P.

(S.N.JHA) (MANISH MISHRA)
J.E(B.E.Civil) J.E.(Civil
S.S.A.
SPO, LUCKNOW
DESIGNED &
DRAWN BY

प्राथमिक विद्यालय पुनर्निर्माण

संलग्नक-5

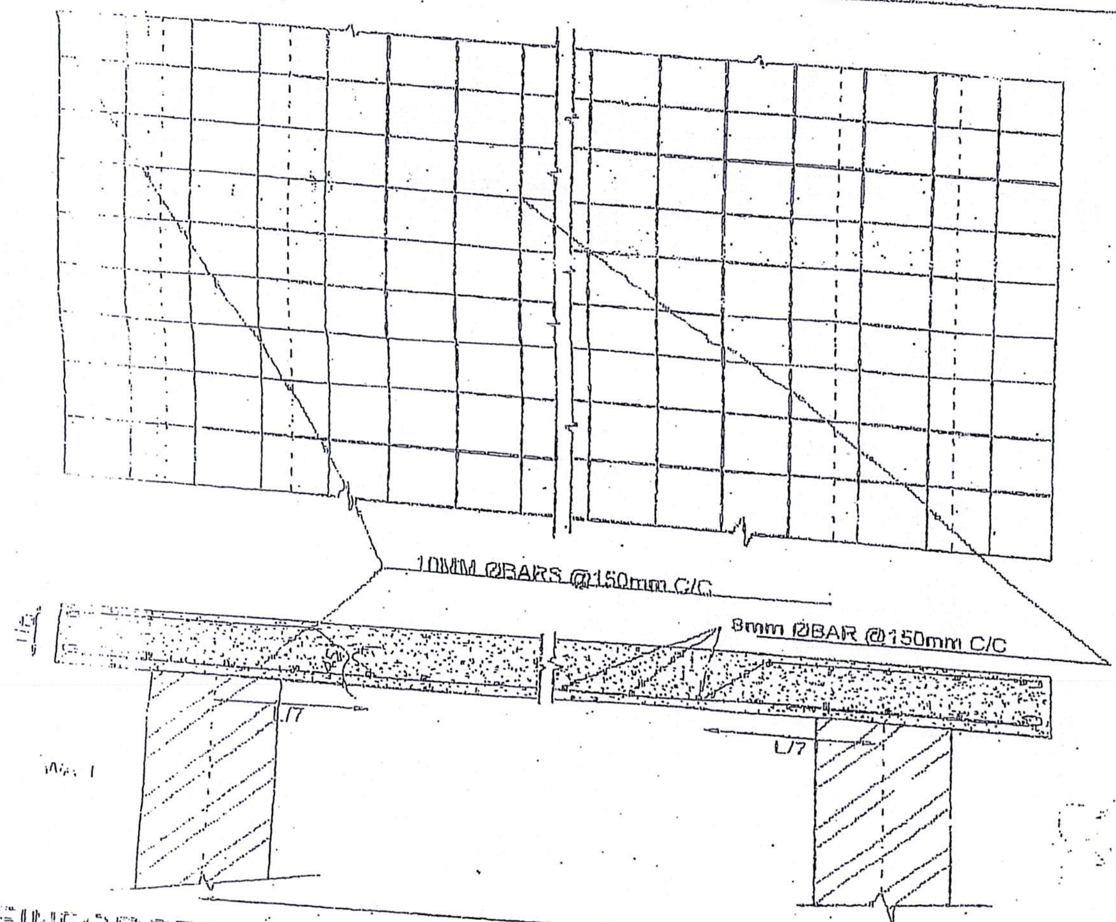

NOTES:-

1. REINFORCEMENT SHALL BE ARRANGE AS PER GIVEN SPECIFICATION.
2. M20 (1:1.5:3) CONCRETE SHALL BE USE FOR CASTING THE SLAB AS WELL AS ALL TYPES OF R.C.C. WORKS.
3. PROPER CENTERING AND SHUTTERING SHALL BE DONE. AND SHALL BE CHECKED BY J.E.OR A.E. BEFORE CASTING.

(अमित कुमार राय)
विशेषज्ञ, निर्माण कार्य
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

J.E. S.S.A.

REINFORCEMENT DETAILS OF SLAB (WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS)

UPGRADATION OF PS TO UPS

DRG.NO.	
S.S.A.STANDARD SCHOOL MAP U.P.	(S.N.JHA) J.E(B.E.Civil) · (HARISH MISHRA) J.E.(Civil) · S.S.A. SPO LUCKNOW · DESIGNED & DRAWN BY

33

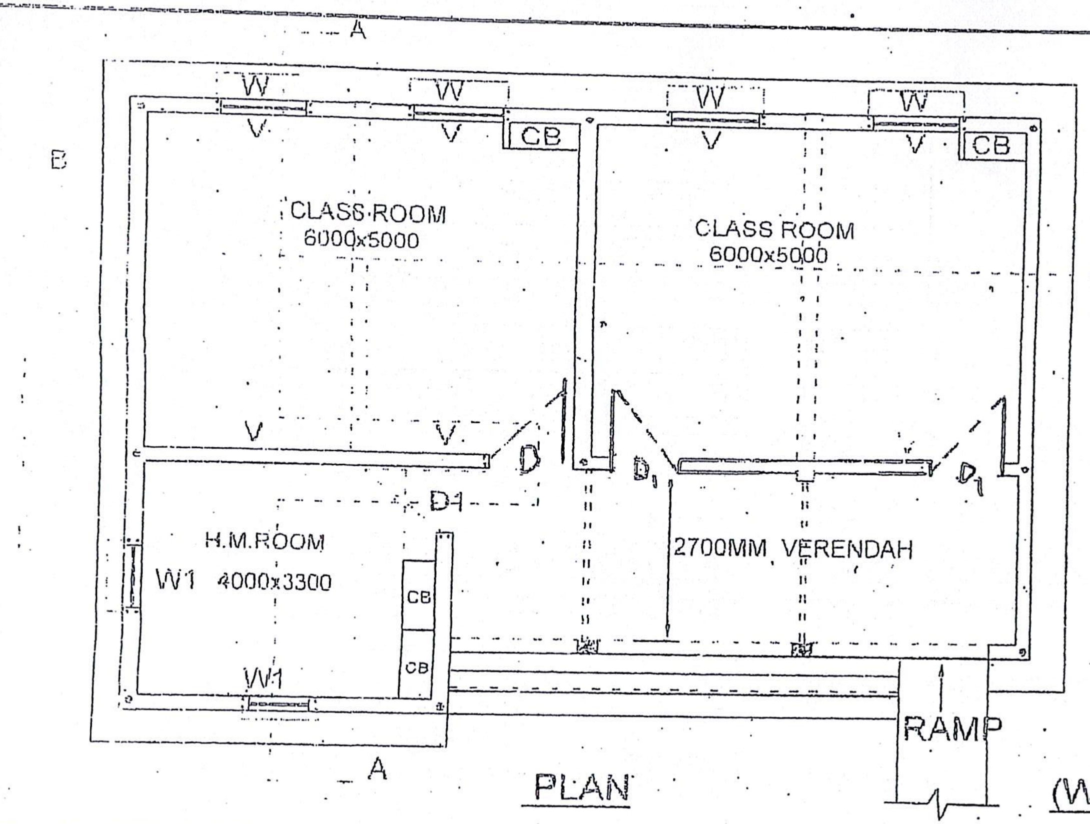

PLAN

(रवि प्रकाश पांडे)
वास्तुविद
उ०प्र०,लोक निर्माण विभाग
लखनऊ

PS DESIGN NO. 1

(WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS

SHEDULE OF DOOR AND WINDOWS					
S.NO.	TYPE	SIZE	SILL	LINT.	REMARK
1	[illegible]	1200x2100	-	2100	DOOR
2	D1	1100x2100	-	2100	DOOR ROOM)
3	W	1200x1500	600	2100	WINDOW
4	W1	900x1500	600	2100	WINDOW
5	[illegible]	900x450			VENTILATORS
6	[illegible]	900x2100		2100	ALMIRAH

* ALL DIMNS. ARE IN MM
* ONLY WRITTEN DIMNS SHALL BE FOLLOWED

DRG.NO. 01

S.S.A.STANDARD
SCHOOL MAP
U P

(S.N.JHA) J.E(B.E.Civil)
(MANISH MISHRA) J.E.(Civil)
S.S.A.
SPO. LUCKNOW

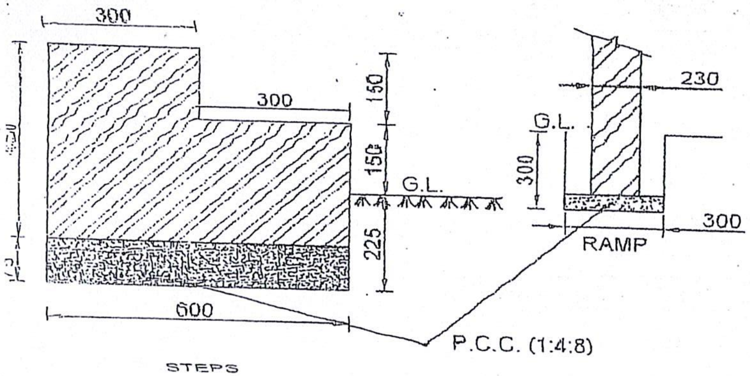

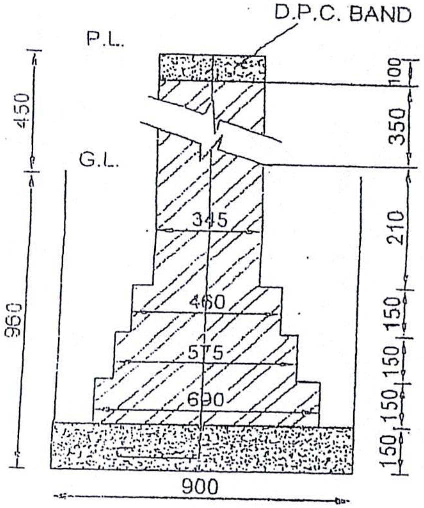

DETAILS OF VERANDAH PILLARS FOUNDATION

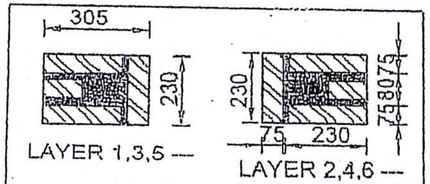

VERANDAH PILLAR

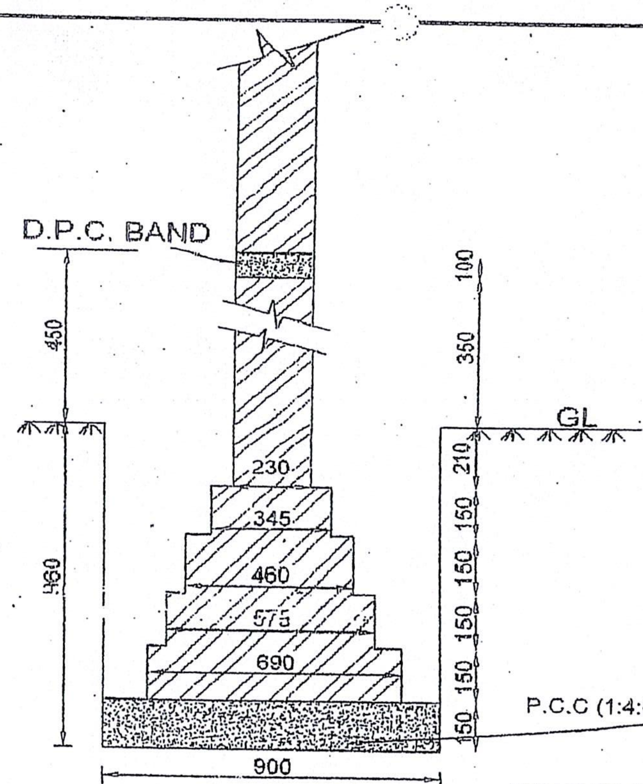

MAIN WALL

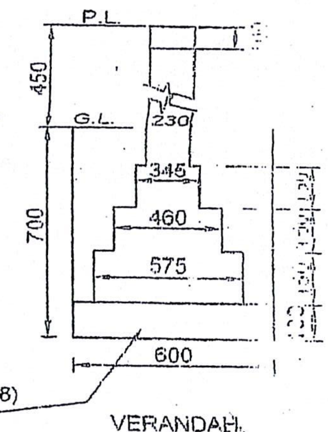

FOUNDATIONS

* ALL DIMNS. ARE IN MM
* ONLY WRITTEN DIMNS SHALL BE FOLLOWED

PS DESIGN NO. 1

(WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS

DRG.NO.:	
S.S.A.STANDARD SCHOOL MAP U.P.	(S.N.JHA) J.E(B.E.Civil) (MANISH MISHRA) J.E.(Civil) S.S.A. SPO, LUCKNOW DESIGNED & DRAWN BY

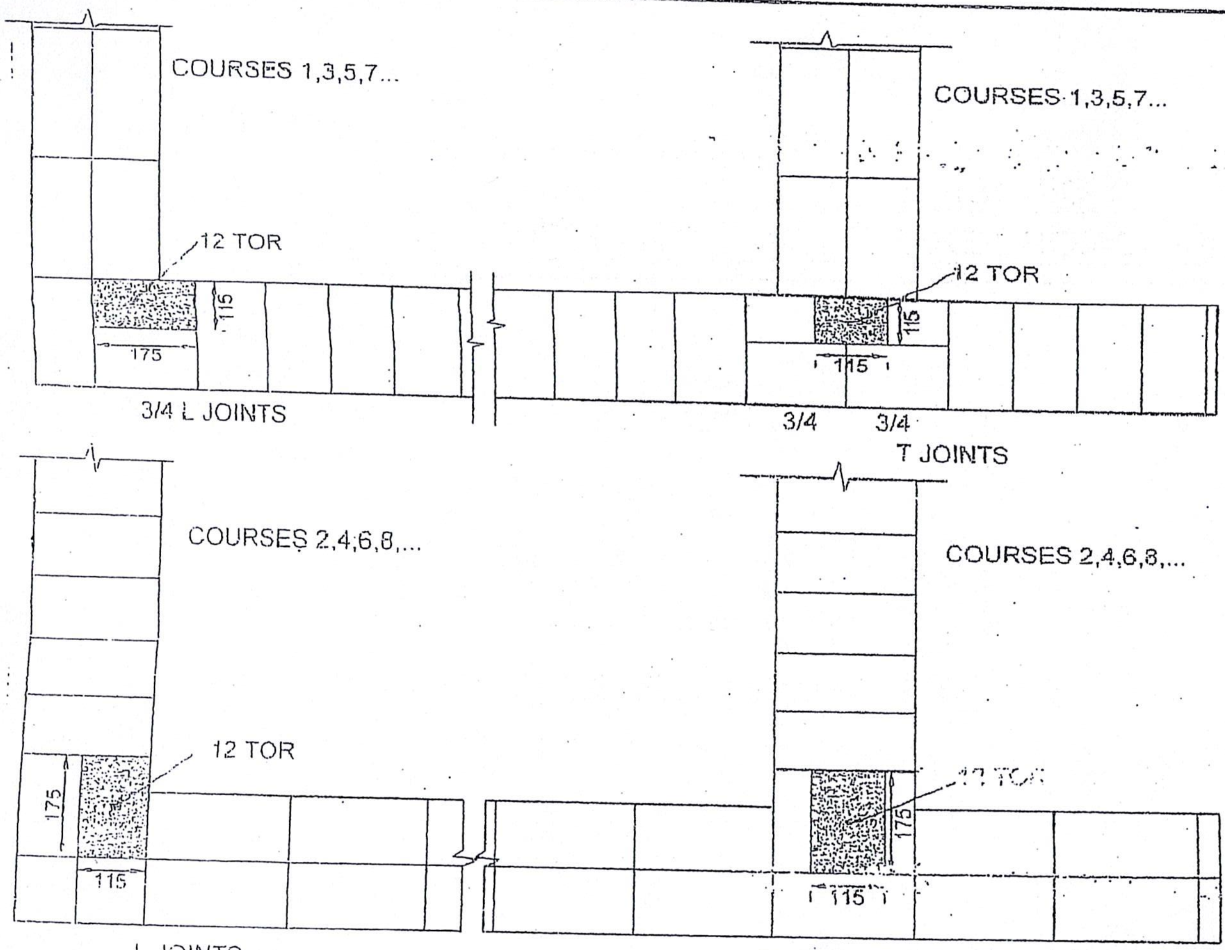

VERTICAL STEEL BARS IN BRICK MASONRY
FOR ADDITIONAL CLASS ROOM

PS DESIGN NO.1

(WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS)

DRG.NO.	
S.S.A.STANDARD SCHOOL MAP U.P.	(S.N.JHA) J.E(B.E.Civil) (MANISH MISHRA) J.E.(Civil) S.S.A. SPO, LUCKNOW DESIGNED & DRAWN BY

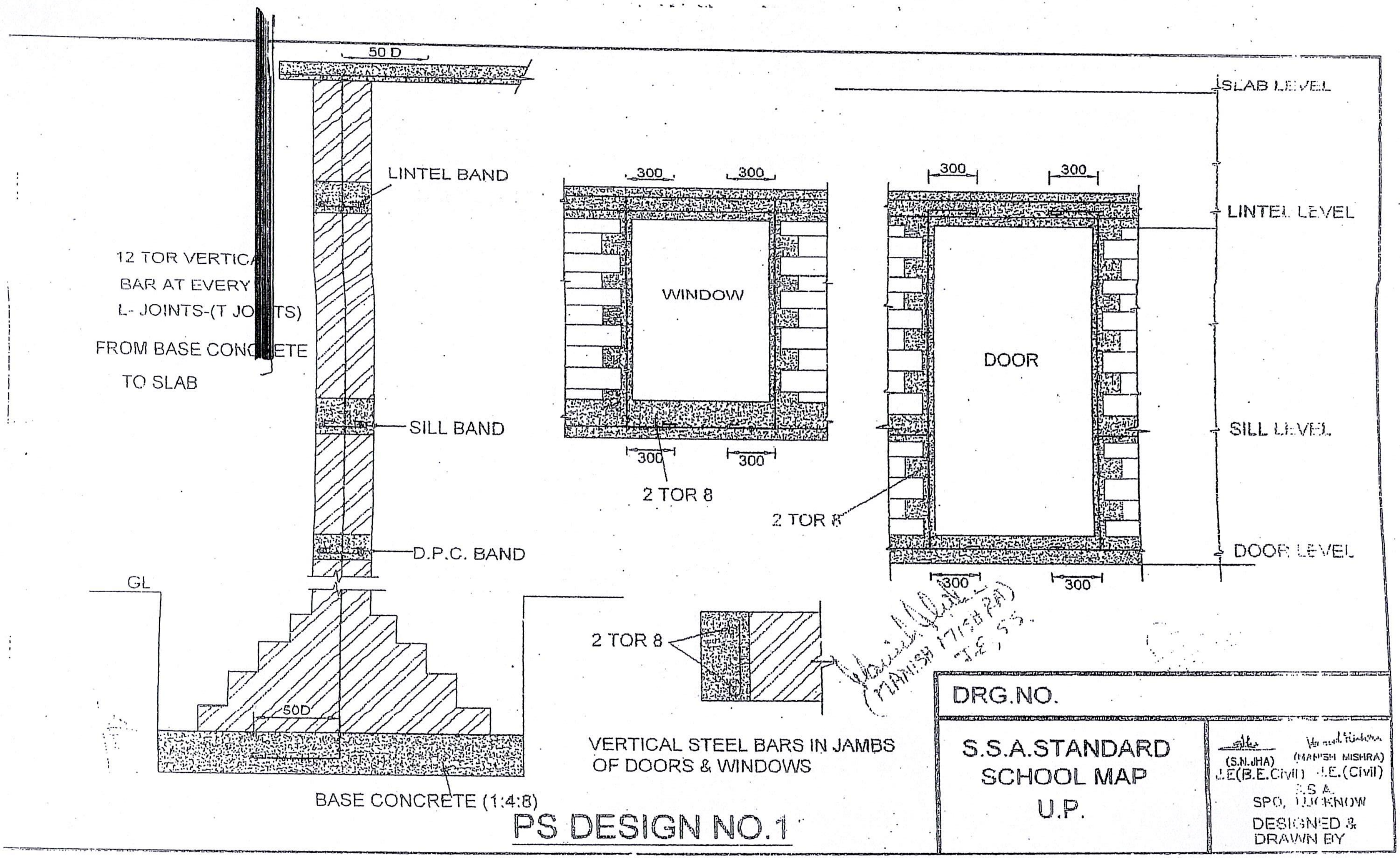

PS DESIGN NO.1

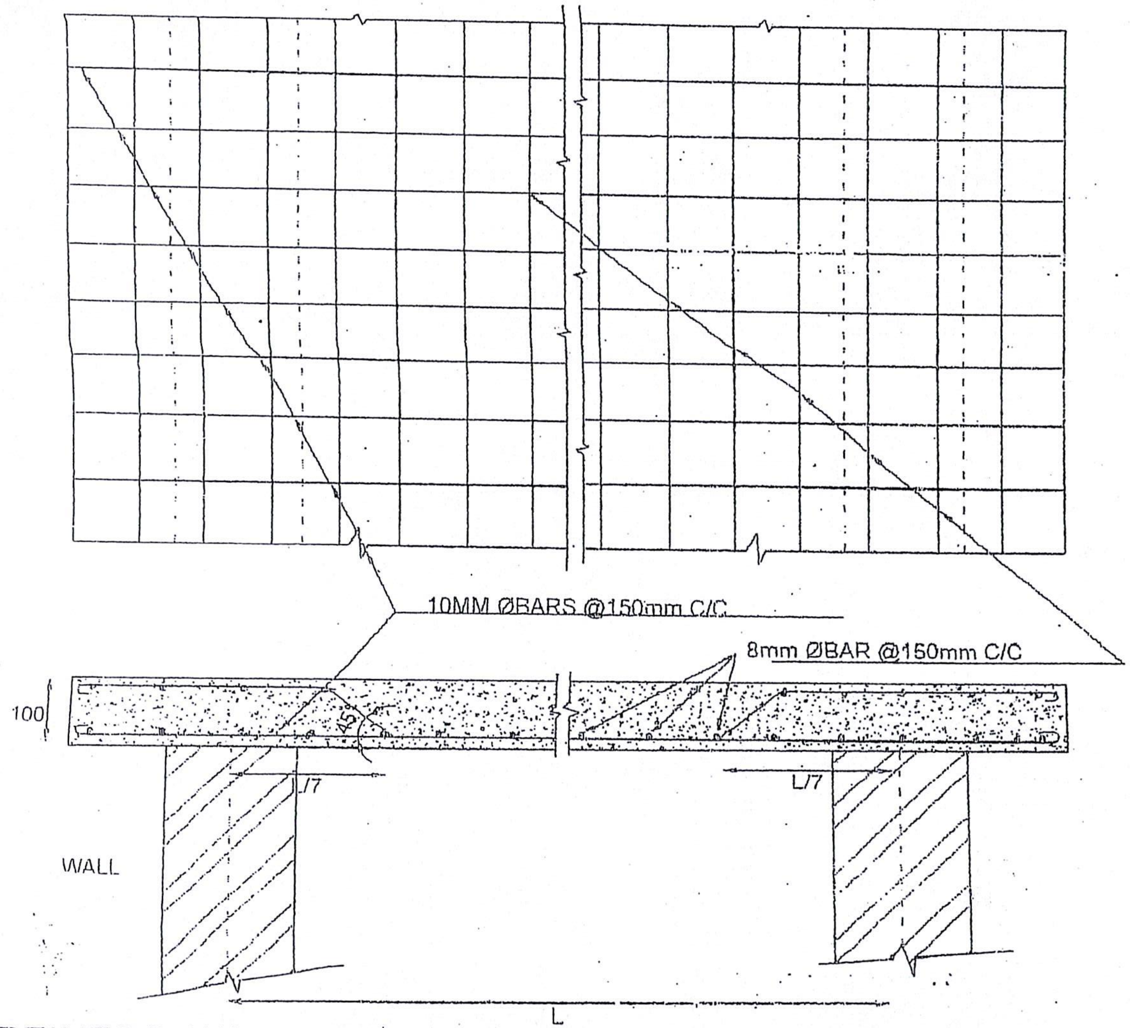

REINFORCEMENT DETAILS OF SLAB

(WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS)

PS DESIGN NO.1

NOTES:-

1. REINFORCEMENT SHALL BE ARRANGE AS PER GIVEN SPECIFICATION.
2. M20 (1:1.5:3) CONCRETE SHALL BE USE FOR CASTING THE SLAB AS WELL AS ALL TYPES OF R.C.C. WORKS.
3. PROPER CENTERING AND SHUTTERING SHALL BE DONE. AND SHALL BE CHECKED BY J.E.OR A.E. BEFORE CASTING.

(MANISH MISHRA)

DRG.NO.

S.S.A.STANDARD SCHOOL MAP U.P.	(S.N.JHA) J.E(B.E.Civil) (MANISH MISHRA) J.E.(Civil) S.S.A. SPO, LUCKNOW DESIGNED & DRAWN BY

संलग्नक-6

उच्च प्राथमिक विद्यालय पुनर्निर्माण

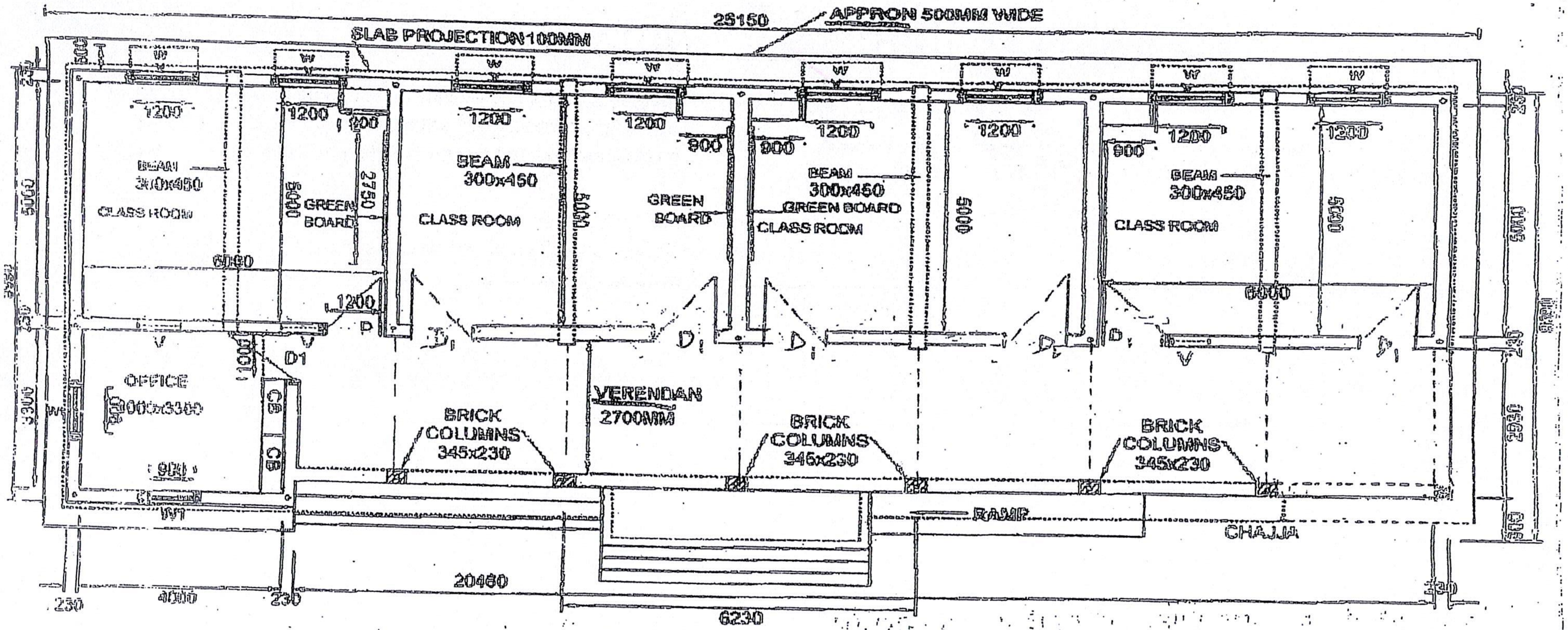

UPS DESIGN NO.2 (WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS)

NOTES:-
1. All the written Dimensions are in mm which shall be strictly followed.
2. Building Layout shall be done under the guidence of J.E/A.E.
3. All R.C.C works shall be excuted under the supervision of J.E/A.E. by J.E/A.E. Before casting.
4. Centering shuttering and all types of Reinforcement shall be checked
5. All the seismic provision must be done according to specifications.

DRG.NO. 2		J.E(B.E.Civil) J.E.(Civil) S.S.A. SPO. LUCKNOW
S.S.A. STANDARD SCHOOL MAP U.P.		DESIGNED & DRAWN BY

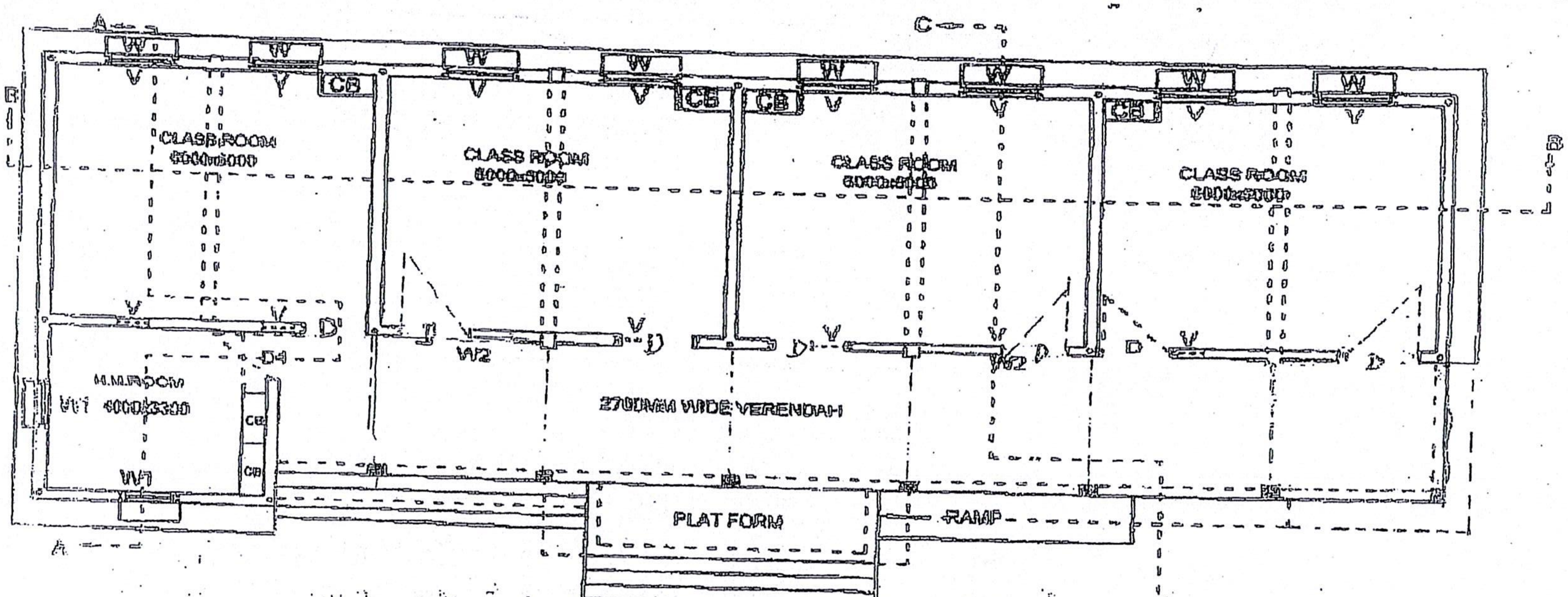

PLAN

ALL DIMENSIONS ARE IN MM
ALL (:) AND (:) INDICATES LONGITUDINAL

UPS DESIGN NO.2

(WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS)

SHEDULE OF DOOR AND WINDOWS

S.NO.	TYPE	SIZE	SILL	LINT.	REMARK
1	D_1	1200x2100	-	2100	DOOR
2	D	1100x2100	-	2100	DOOR
3	W	1200x1500	600	2100	WINDOW
4	W1	900x1500	600	2100	WINDOW
	V	1000x500			VENTILATORS
	C.B	900x2100		2100	ALMIRAH

DRG.NO. 01

S.S.A.STANDARD
SCHOOL MAP
U.P.

(S.K.JHA) J.E(B.E.Civil)
(MANISH MISRA) J.E.(Civil)
S.S.A.
SPO. LUCKNOW
DESIGNED & DRAWN BY

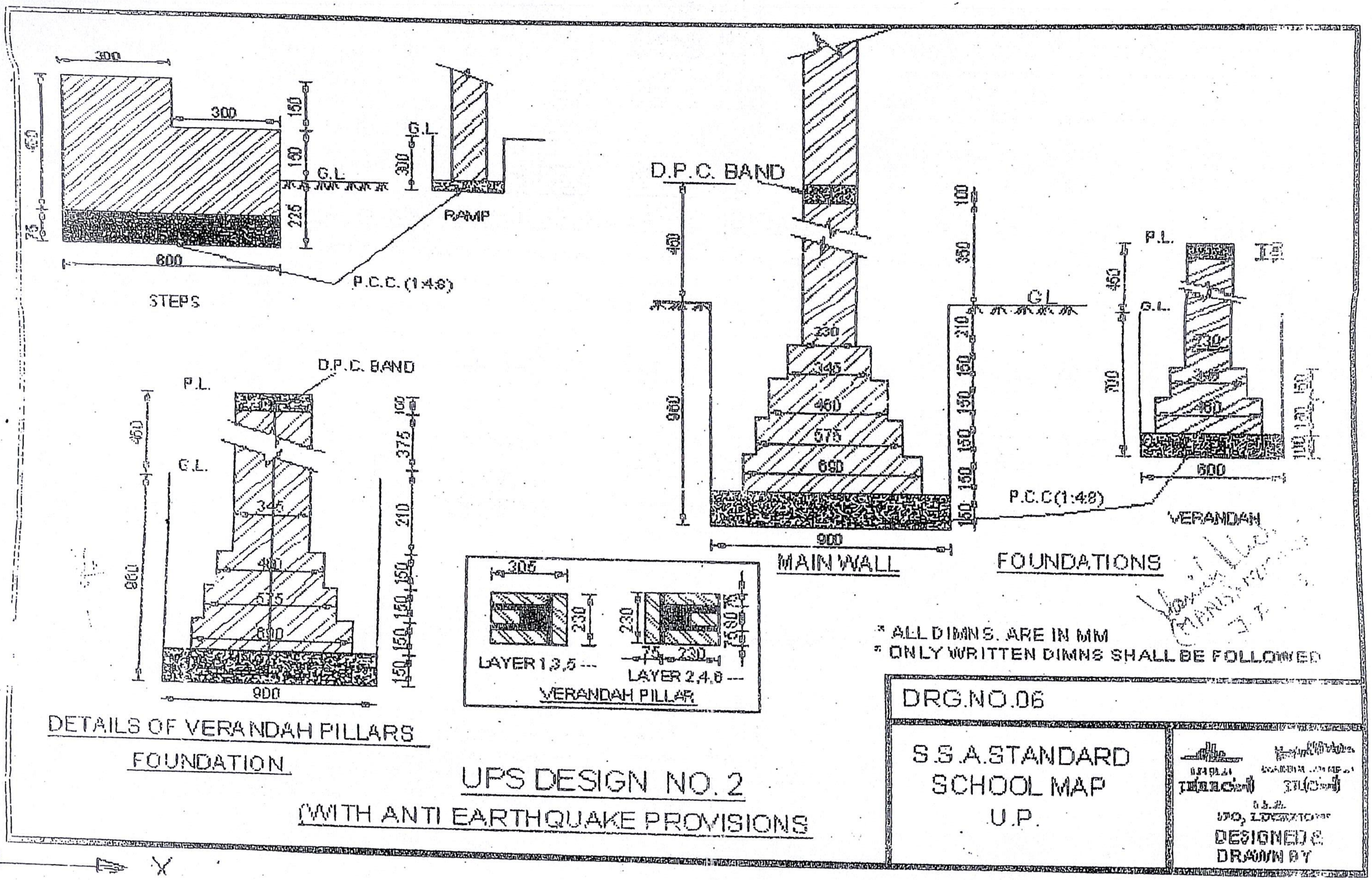
STEPS
G.L.
RAMP
P.C.C. (1:4:8)
D.P.C. BAND
P.L.
MAIN WALL
VERANDAH
FOUNDATIONS
P.C.C(1:4:8)
LAYER 1,3,5 ---
LAYER 2,4,6 ---
VERANDAH PILLAR
DETAILS OF VERANDAH PILLARS FOUNDATION
UPS DESIGN NO. 2
(WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS
* ALL DIMNS. ARE IN MM
* ONLY WRITTEN DIMNS SHALL BE FOLLOWED
DRG.NO.06
S.S.A.STANDARD
SCHOOL MAP
U.P.
DESIGNED &
DRAWN BY

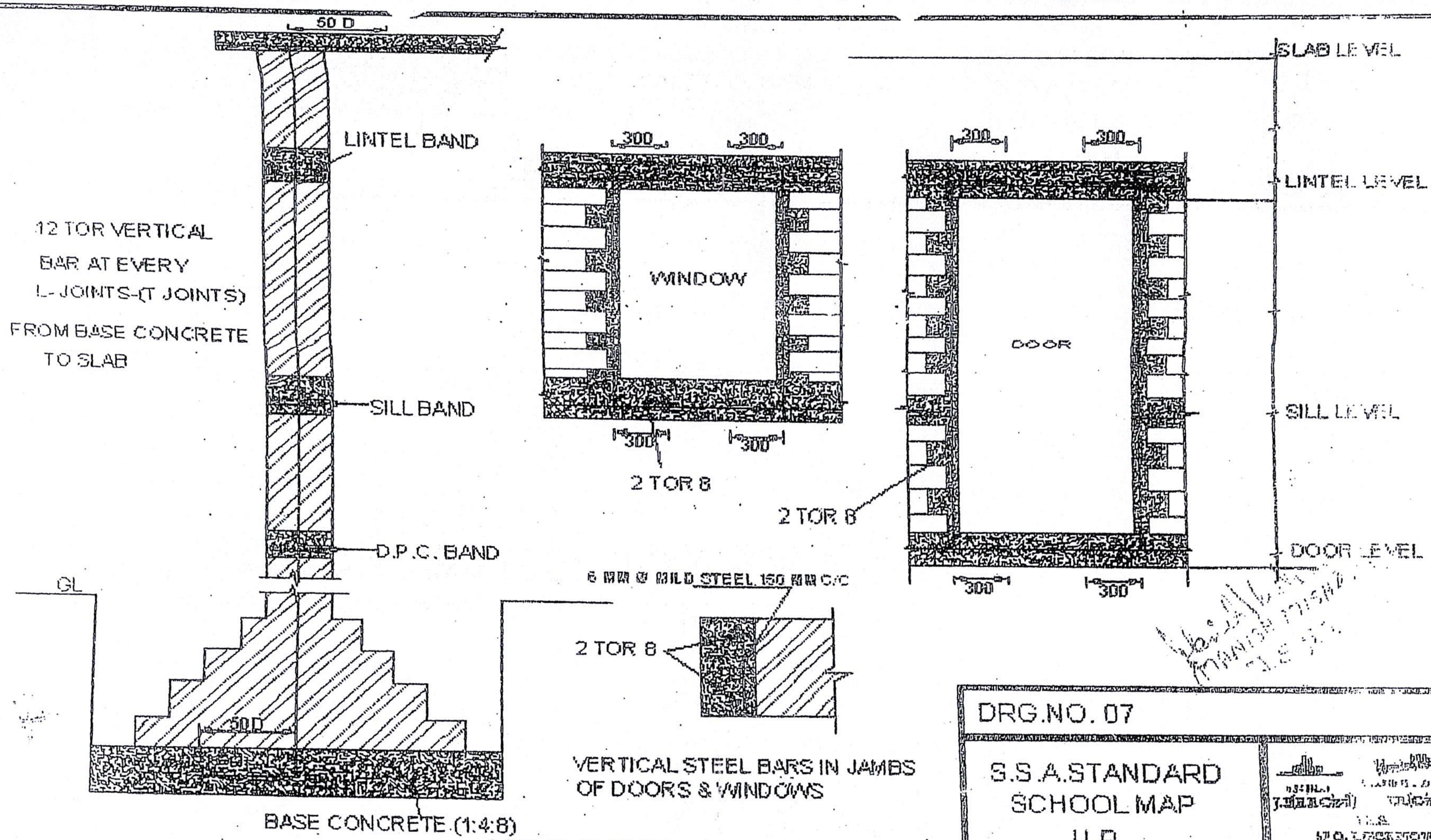

UPS DESIGN NO.2

DRG.NO. 07

S.S.A.STANDARD
SCHOOL MAP
U.P.

DESIGNED &
DRAWN BY

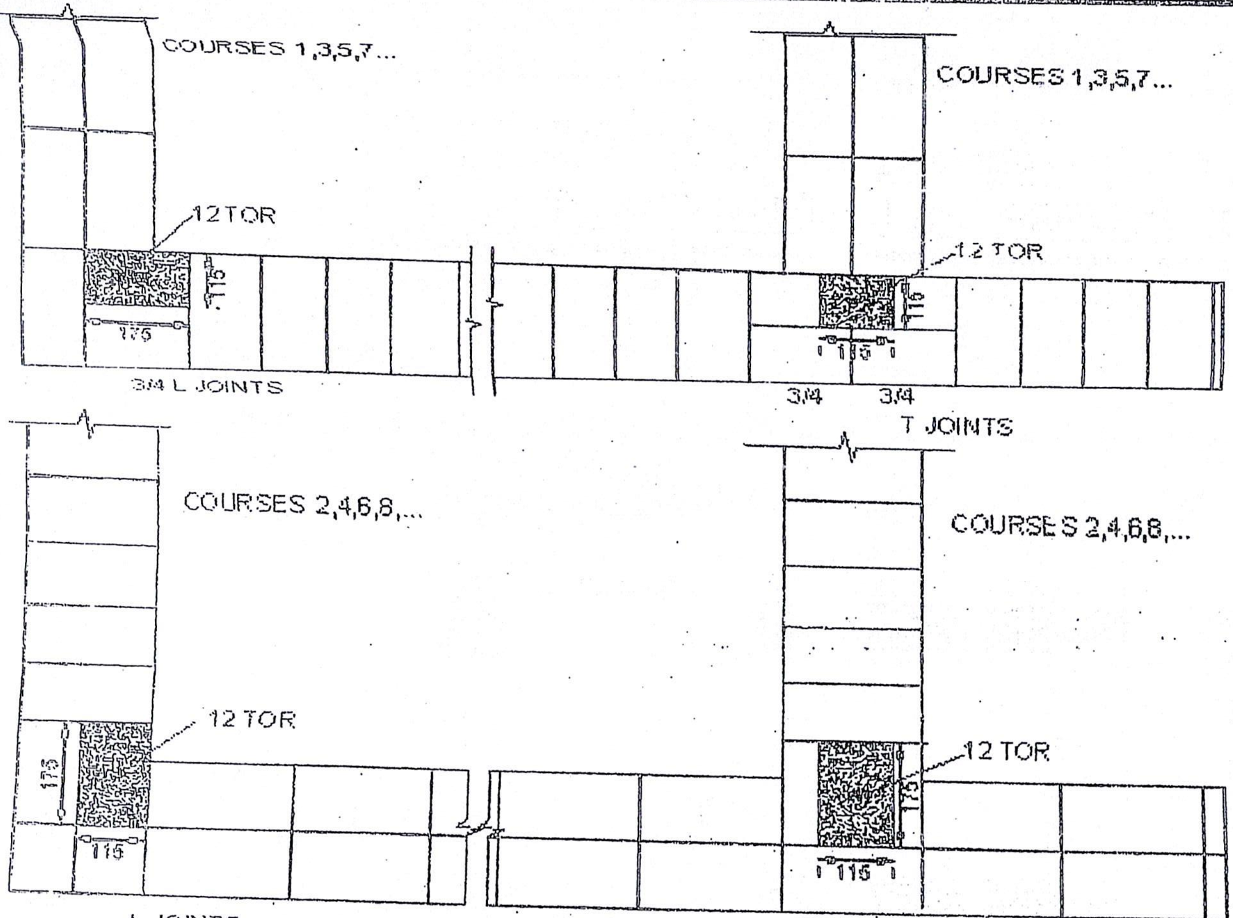

VERTICAL STEEL BARS IN BRICK MASONRY
FOR ADDITIONAL CLASS ROOM

UPS DESIGN NO.2

(WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS)

DRG.NO. 09	
S.S.A.STANDARD SCHOOL MAP U.P.	DESIGNED & DRAWN BY

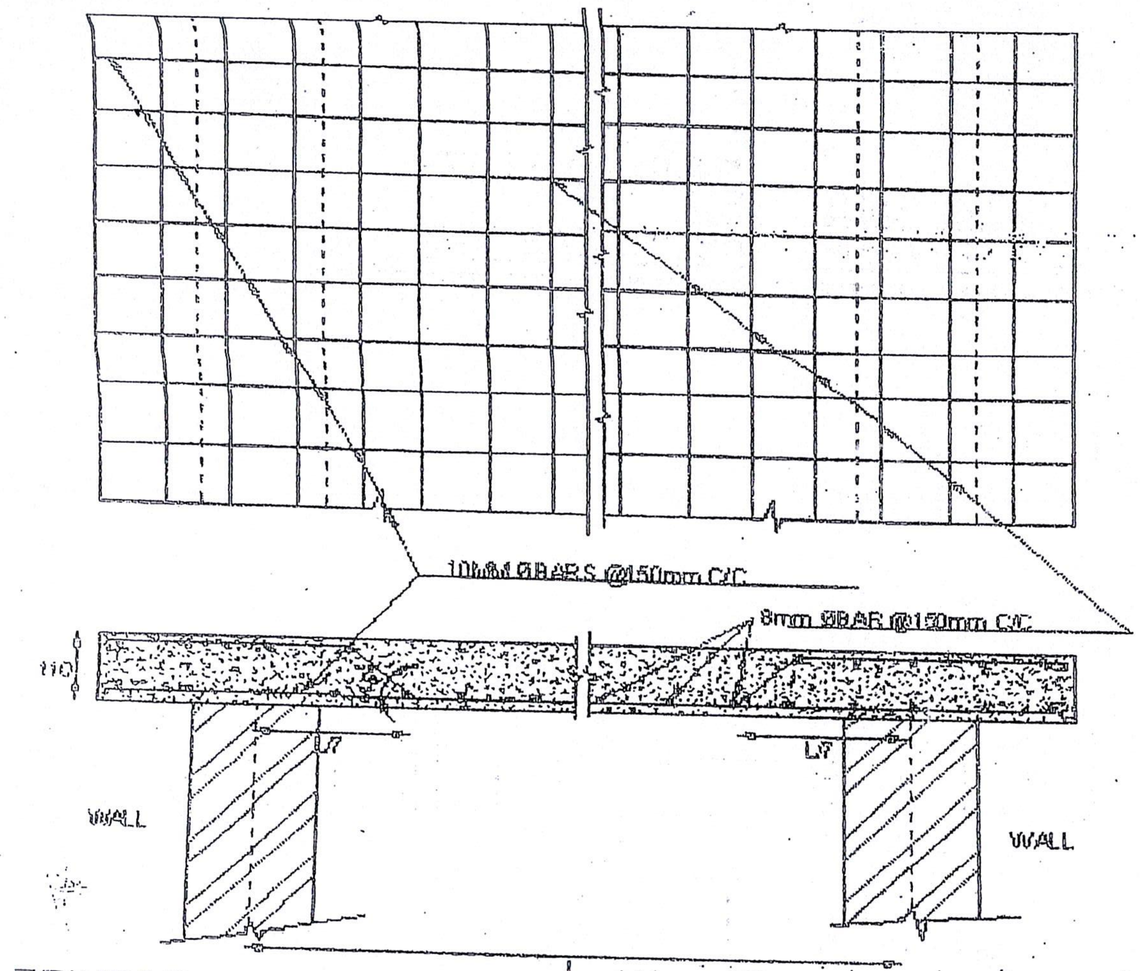

REINFORCEMENT DETAILS OF SLAB
UPS DESIGN NO.2
(WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS)

NOTES:-

1. REINFORCEMENT SHALL BE ARRANGE AS PER GIVEN SPECIFICATION.
2. M20 (1:1.5:3) CONCRETE SHALL BE USE FOR CASTING THE SLAB AS WELL AS ALL TYPES OF R.C.C. WORKS.
3. PROPER CENTERING AND SHUTTERING SHALL BE DONE. AND SHALL BE CHECKED BY J.E OR A.E. BEFORE CASTING.

(MANISH MISHRA)
J.E. S.S.

DRG.NO. 11	
S.S.A.STANDARD SCHOOL MAP U.P.	DESIGNED & DRAWN BY

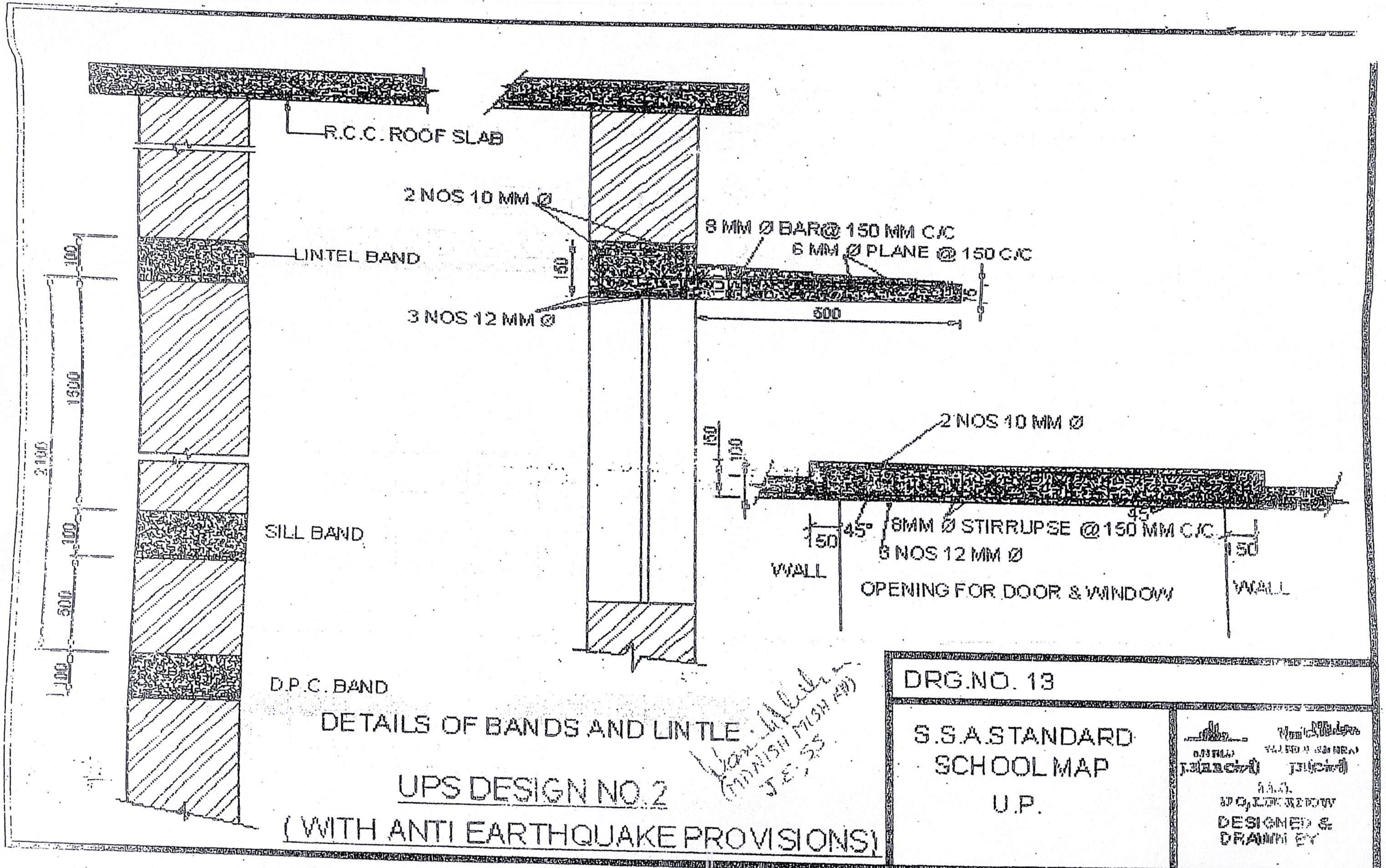

DETAILS OF BANDS AND LINTLE

UPS DESIGN NO. 2

(WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS)

DRG.NO. 13

S.S.A.STANDARD SCHOOL MAP U.P.

DESIGNED & DRAWN BY

BRC पुनर्निर्माण

संलग्नक-7

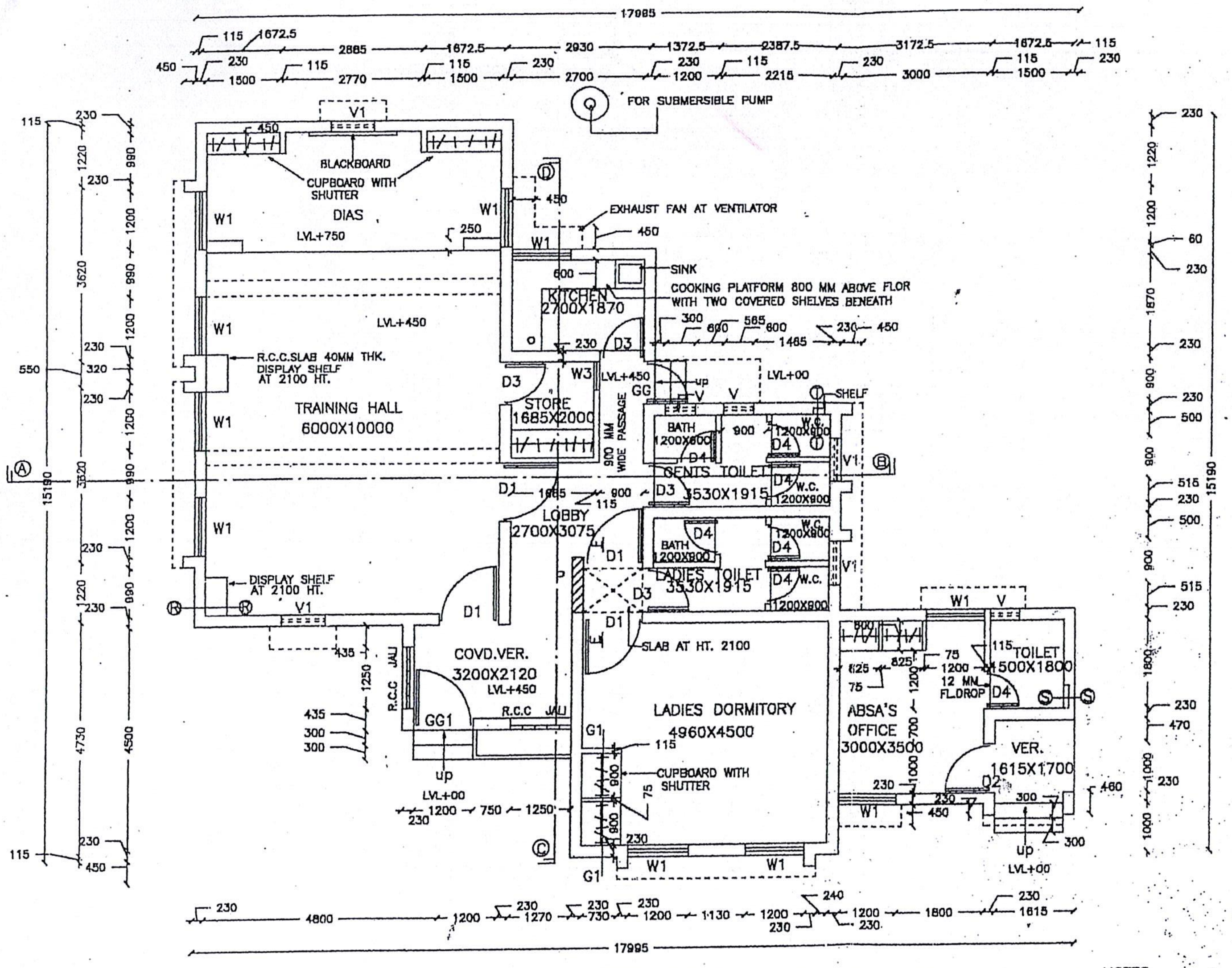

S.No	Type	Size	CillLvl.	Lin.lvl.
1	D1	1200X2100	–	2100
2	D2	1000X2100	–	2100
3	D3	900X2100	–	2100
4	D4	750X2100	–	2100
5.	GG1	1200X2100	–	2100
6.	GG	900X2100	–	2100

S.No	Type	Size	CillLvl.	Lin.lvl.
7	W1	1200X1200	900	2100
8	W2	1200X1050	1050	2100
9	W3	600X1200	900	2100
10	V1	900X450	1650	2100
11	V	600X450	1650	2100

NOTES

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
2. ANY DISCREPANCY IN THE DRAWINGS SHALL BE BROUGHT TO THE NOTICE OF ARCHITECTS
3. ONLY WRITTEN DIMENSIONS ARE TO BE FOLLOWED.

DESIGN STUDIO

PROJECT

PROPOSED BLOCK RESOURCE CENTRE BUILDING AT VIKAS KHAND

DISTT.

SCALE

0 500 1500 3500

500 1000 2000

Release for Tenders only

CLIENT U.P. DISTT. PRIMARY EDUCATION PROGRAMME

JOB BLOCK RESOURCE CENTRE BLDG.

TITLE GROUND FLOOR PLAN

DRN. BY	SCALE	DATE	DRG.NO.
		APRIL.'00	1/11

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGN STUDIO. THIS SHOULD NOT BE PRODUCED WITHOUT PERMISSION

DESIGN STUDIO
2-A SHAHNAJAF ROAD.LKO.
PH.226978

ARCHITECT'S SIGN

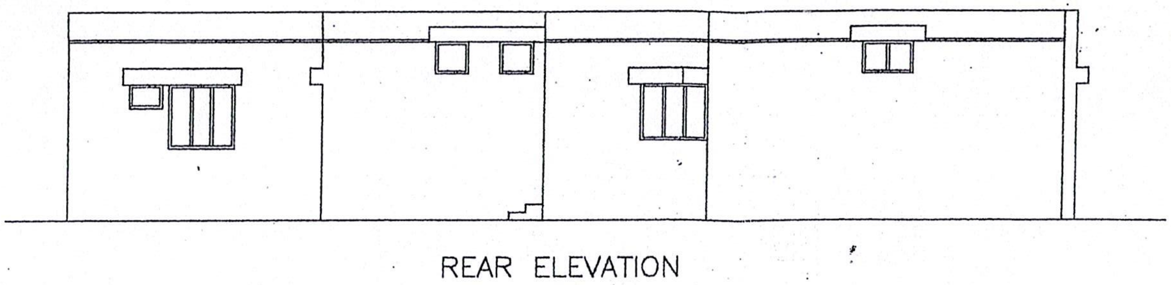

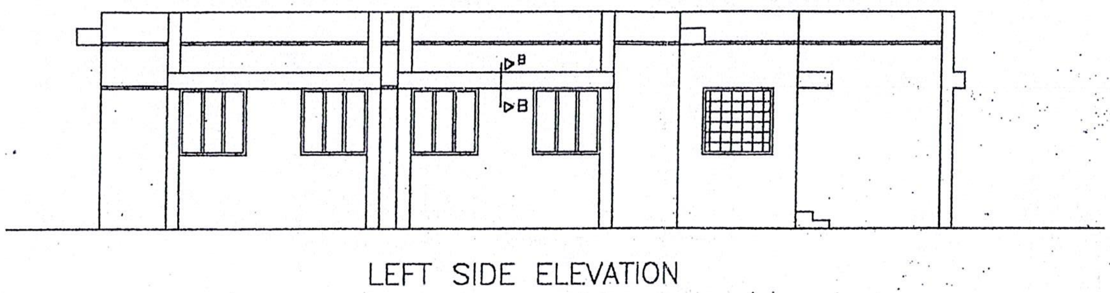

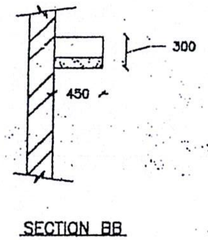

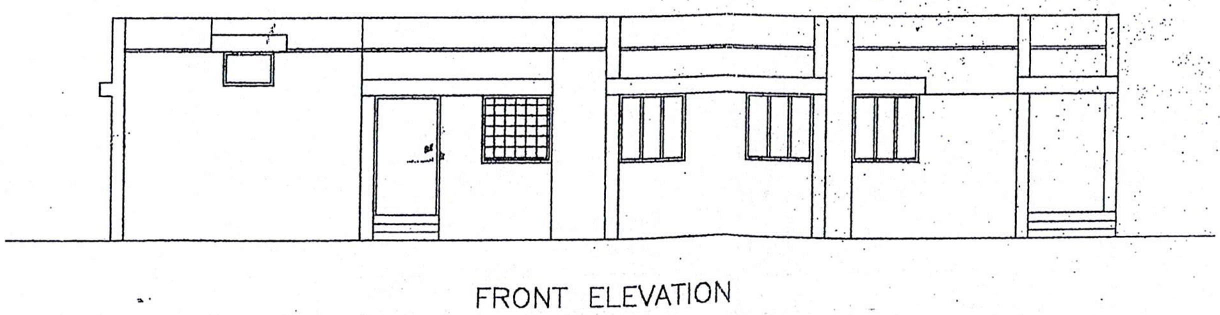

NOTES

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
2. ANY DISCREPANCY IN THE DRAWINGS SHALL BE BROUGHT TO THE NOTICE OF ARCHITECTS
3. ONLY WRITTEN DIMENSIONS ARE TO BE FOLLOWED.

DESIGN STUDIO

PROJECT
PROPOSED BLOCK RESOURCE CENTRE BUILDING AT VIKAS KHAND DISTT.

SCALE
0 500 1500 3500
500 1000 2000

Release for Tenders only.

CLIENT	U.P. DISTT. PRIMARY EDUCATION PROGRAMME.
JOB	BLOCK RESOURCE CENTRE BLDG.
TITLE	ELEVATIONS

	DRN. BY	SCALE	DATE	DRG.NO.
			APRIL'00	2/11

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGN STUDIO. THIS SHOULD NOT BE PRODUCED WITHOUT PERMISSION

DESIGN STUDIO
2-A SHAHNAJAF ROAD,LKO.
PH.226978

ARCHITECT
ARCHITECT'S SIGN

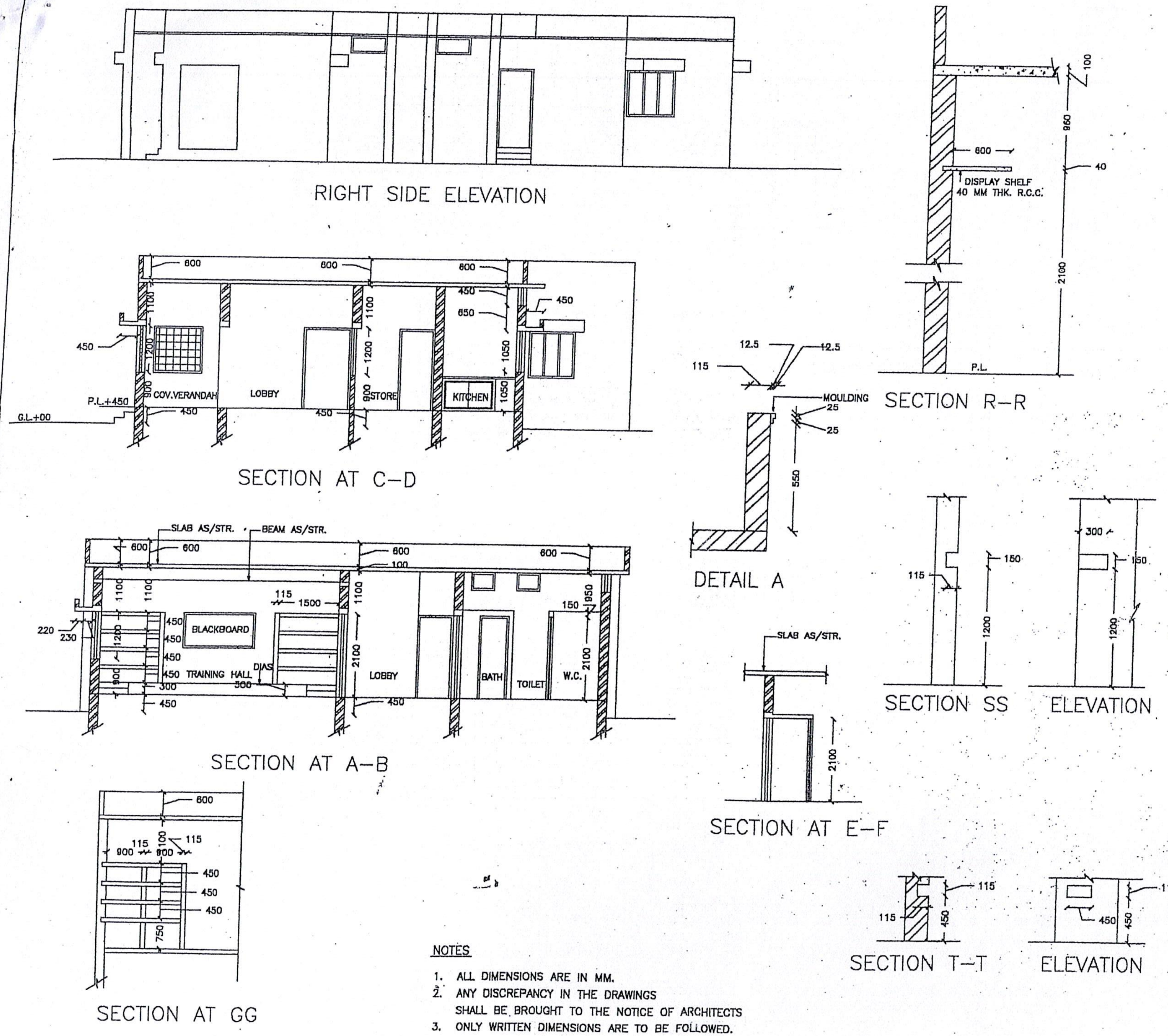

NOTES

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
2. ANY DISCREPANCY IN THE DRAWINGS SHALL BE BROUGHT TO THE NOTICE OF ARCHITECTS
3. ONLY WRITTEN DIMENSIONS ARE TO BE FOLLOWED.

DESIGN STUDIO

PROJECT
PROPOSED BLOCK RESOURCE
CENTRE BUILDING AT
VIKAS KHAND
DISTT.

SCALE
0 500 1500 3500
500 1000 2000

Release for Tenders only

CLIENT
U.P. DISTT. PRIMARY EDUCATION PROGRAMME

JOB
BLOCK RESOURCE CENTRE BLDG.

TITLE
SECTIONS

DRN. BY	SCALE	DATE	DRG.NO.
		APRIL'00	3/11

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGN STUDIO. THIS SHOULD NOT BE PRODUCED WITHOUT PERMISSION

DESIGN STUDIO
2–A SHAHNAJAF ROAD,LKO.

ARCHITECT'S SIGN

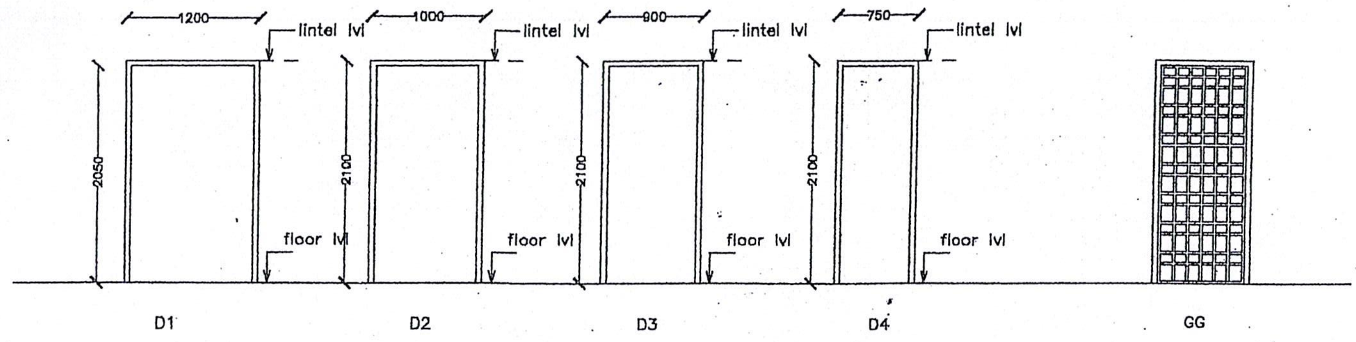

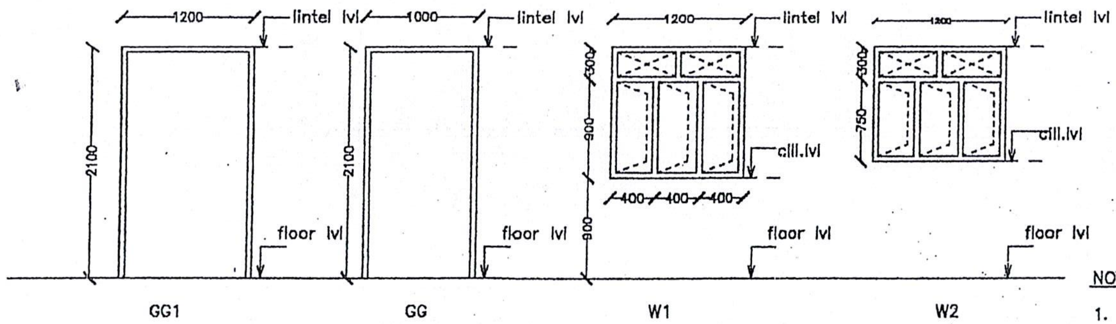

NOTES

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
2. ANY DISCREPANCY IN THE DRAWINGS SHALL BE BROUGHT TO THE NOTICE OF ARCHITECTS
3. ONLY WRITTEN DIMENSIONS ARE TO BE FOLLOWED.

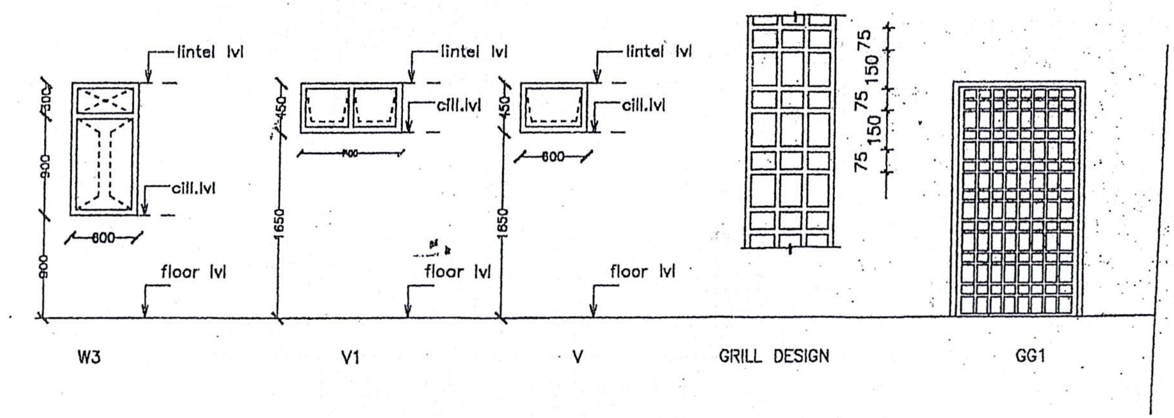

DESIGN STUDIO

PROJECT
PROPOSED BLOCK RESOURCE CENTRE BUILDING AT VIKAS KHAND DISTT.

SCALE 0 100 300 700 1500 / 100 200 400 800

Release for Tenders only

CLIENT	U.P. DISTT. PRIMARY EDUCATION PROGRAMME
JOB	BLOCK RESOURCE CENTRE BLDG.
TITLE	DOOR&WINDOW SCHEDULE

DRN. BY	SCALE	DATE	DRG.NO.
		APRIL'00	4/11

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGN STUDIO. THIS SHOULD NOT BE PRODUCED WITHOUT PERMISSION

DESIGN STUDIO
2-A SHAHNAJAF ROAD.LKO.
PH.226978

ARCHITECT'S SIGN

अतिरिक्त कक्षा-कक्ष

संलग्नक-8

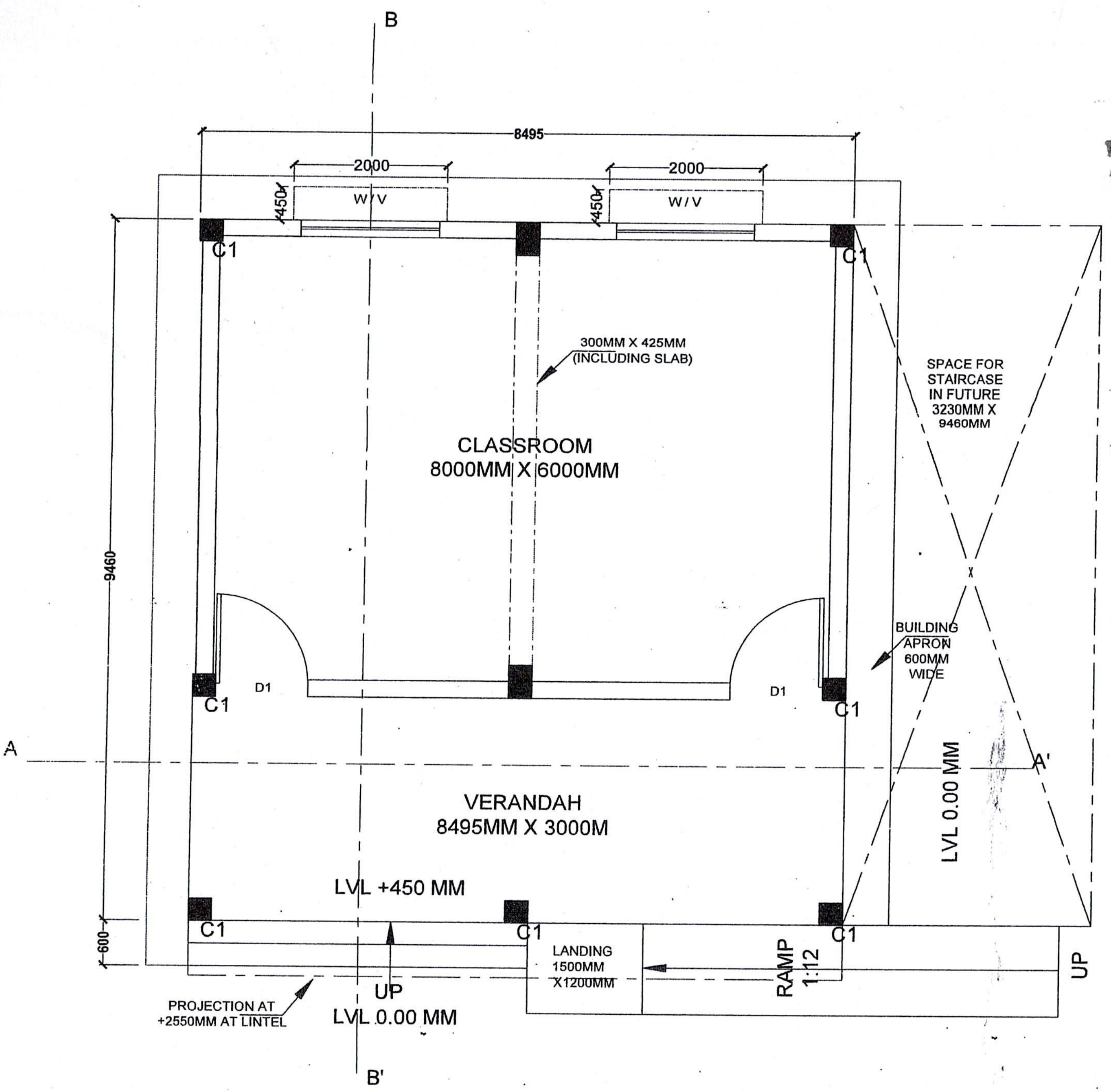

GROUND FLOOR PLAN

PLINTH AREA = 80 SQM

PROJECT

PROPOSED ADDITIONAL CLASS ROOM SINGLE STORY

प्रतिबन्धः पत्र संख्या 19 SA-1/124 SA-1/2024
दिनांक.............मे वर्णित शर्तों
के अधीन मानचित्र अनुमोदित

प्रतिबन्ध सहित
मानचित्र अनुमोदित

सबीना सिंह
कार्य...
लोक निर्माण ... ऊ

(मनीष मिश्रा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

(सरोजा नन्द झा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लख...

CONSTRUCTION. AGENCY

DRG. TITLE
ACR GROUND FLOOR PLAN

NORTH

DATE	SCALE
FEB-2024	
DWG. NO.	JOB NO.
DEALT BY	CHECKED BY
ARTI	S. MATHUR

ARCHITECT
SANJAY MATHUR

MATHUR & DANIEL
ARCHITECTS ; PLANNERS
& INTERIOR DESIGNERS
14A/175B FAIZABAD ROAD LKO

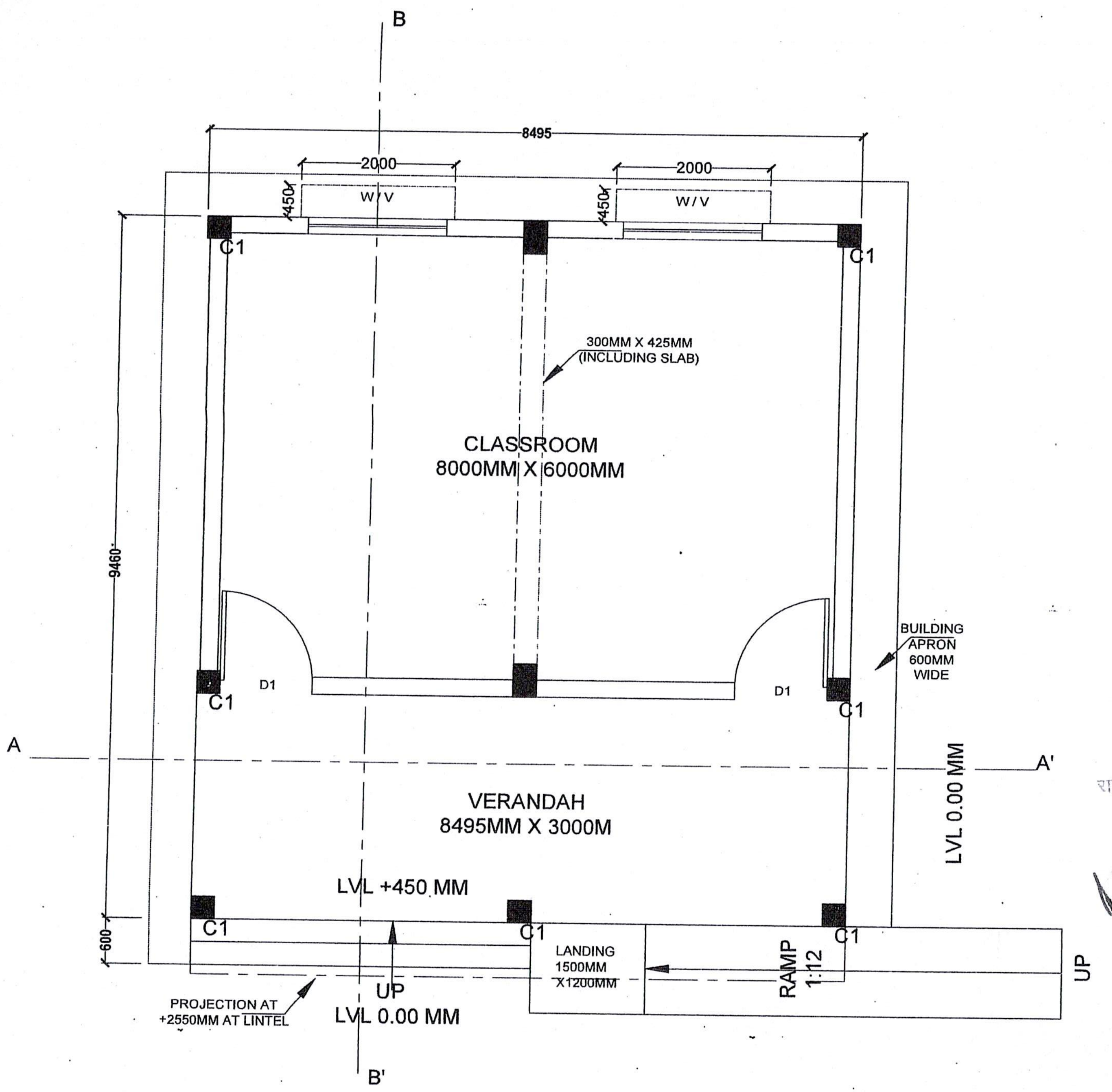

GROUND FLOOR PLAN

PLINTH AREA = 80 SQM

(सरोजा नन्द झा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

(मनीष मिश्रा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

PROJECT
PROPOSED ADDITIONAL CLASS ROOM SINGLE STORY

CONSTRUCTION. AGENCY

DRG. TITLE
ACR GROUND FLOOR PLAN

NORTH

DATE	SCALE
FEB-2024	
DWG. NO.	JOB NO.
DEALT BY	CHECKED BY
ARTI	S. MATHUR

ARCHITECT
SANJAY MATHUR

MATHUR & DANIEL
ARCHITECTS ; PLANNERS & INTERIOR DESIGNERS
14A/175B FAIZABAD ROAD LKO

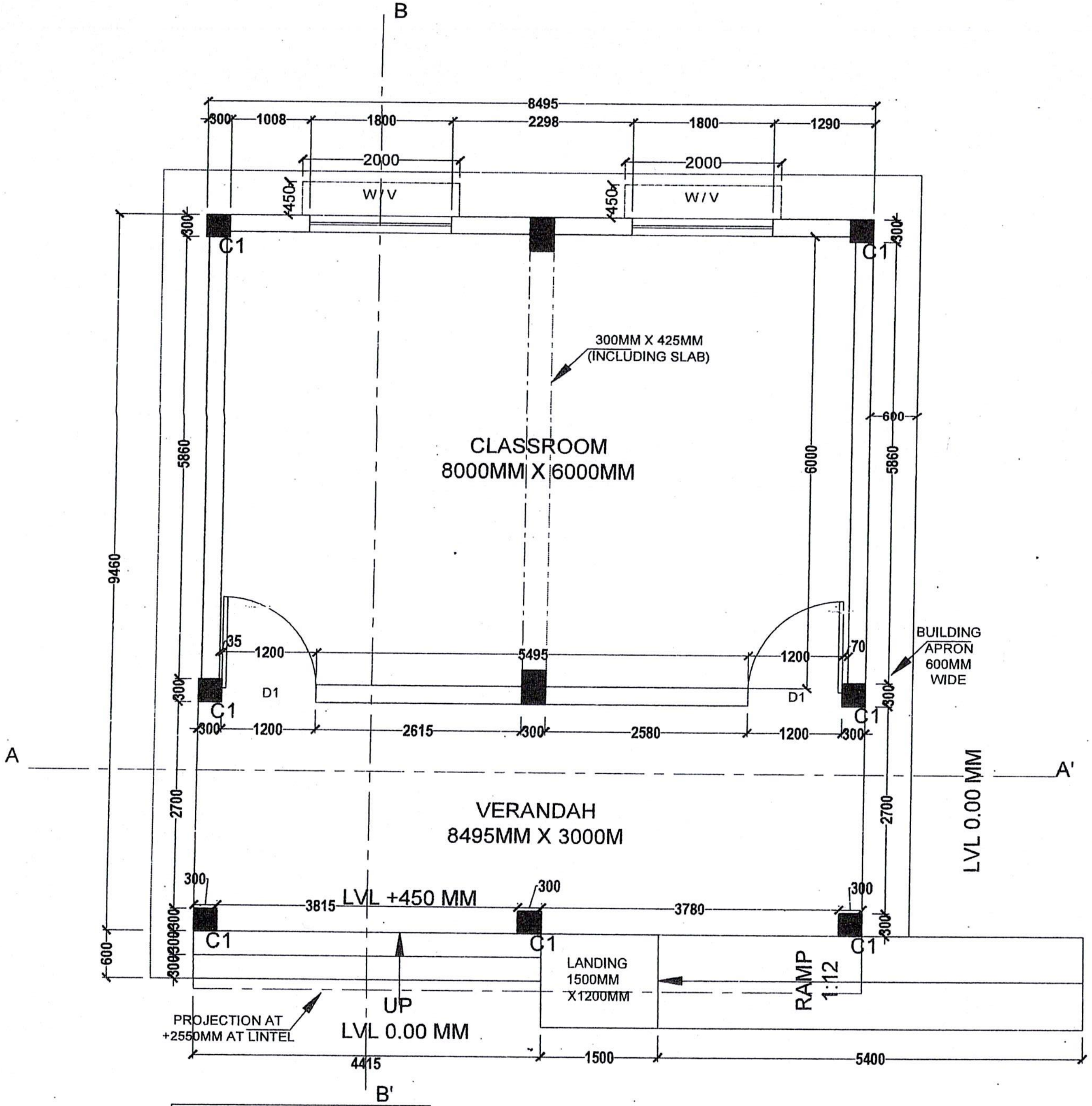

GROUND FLOOR PLAN
WORKING DRAWING

PLINTH AREA = 80 SQM

(सरोजा नन्द झा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

(मनीष मिश्रा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

PROJECT

PROPOSED ADDITIONAL CLASS ROOM SINGLE STORY

CONSTRUCTION. AGENCY	
DRG. TITLE	ACR GROUND FLOOR PLAN
NORTH	
DATE FEB-2024	SCALE
DWG. NO.	JOB NO.
DEALT BY ARTI	CHECKED BY S. MATHUR
ARCHITECT SANJAY MATHUR	

MATHUR & DANIEL
ARCHITECTS ; PLANNERS
& INTERIOR DESIGNERS
14A/175B FAIZABAD ROAD LKO

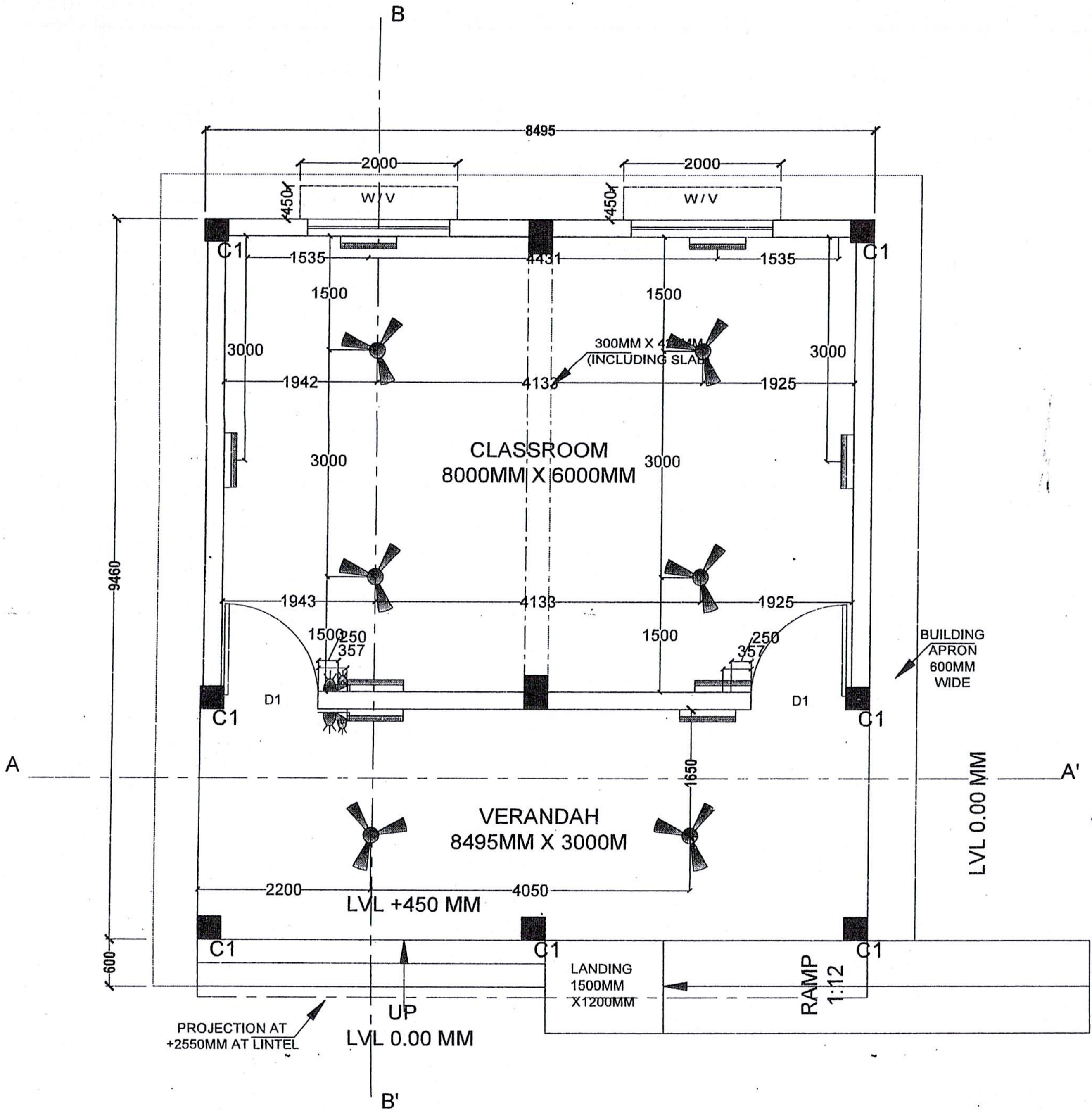

GROUND FLOOR PLAN

PLINTH AREA = 80 SQM

ELECTRICAL LEGEND

S.NO	SYMBOL	REMARK	HIGHT
1.		CEILING FAN	at ceiling
2.		TUBE LIGHT	at 8'- 0" ht.
3.		15 AMP POWER POINT	at 1' - 6" ht.
4.		5 AMP.PLUG POINT	at 1' - 6" ht.
5.		SWITCH BOARD	at 4' - 6" ht.
6.		EXAHUST FAN	at 8' - 0" ht.
7.	D.B.	DISTRIBUTION BOARD	at 4'-6" ht.

(सरोजा नन्द झा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

(मनीष मिश्रा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

PROJECT
PROPOSED ADDITIONAL CLASS ROOM SINGLE STORY

CONSTRUCTION. AGENCY

DRG. TITLE
ACR GROUND FLOOR ELECTRICAL PLAN

NORTH

DATE	SCALE
FEB-2024	
DWG. NO.	JOB NO.
DEALT BY	CHECKED BY
ARTI	S. MATHUR

ARCHITECT
SANJAY MATHUR

MATHUR & DANIEL
ARCHITECTS ; PLANNERS & INTERIOR DESIGNERS
14A/175B FAIZABAD ROAD LKO

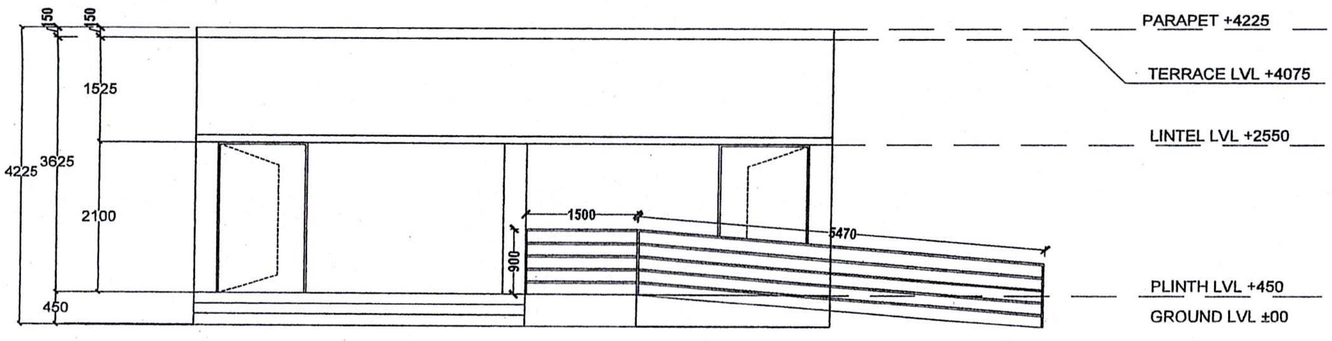

FRONT ELEVATION

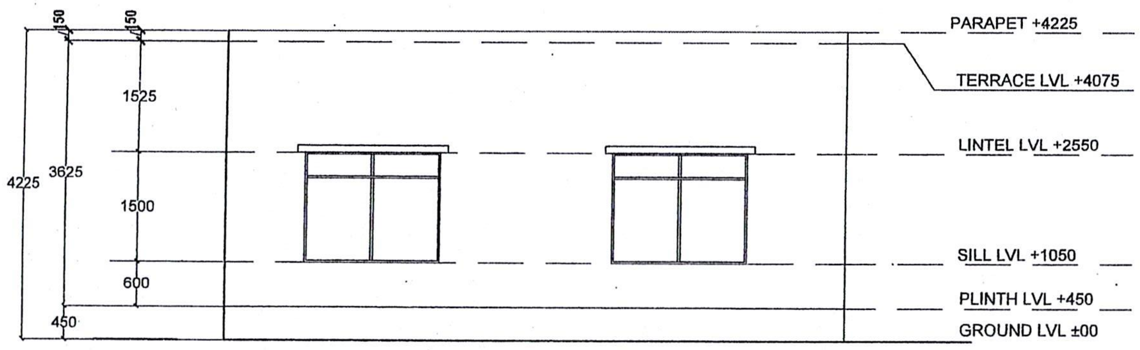

BACK ELEVATION

(सरोजा नन्द झा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

(मनीष मिश्रा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

PROJECT	PROPOSED ADDITIONAL CLASS ROOM SINGLE STORY
CONSTRUCTION. AGENCY	
DRG. TITLE	ELEVATION
NORTH	
DATE: FEB-2024	SCALE
DWG. NO.	JOB NO.
DEALT BY: ARTI	CHECKED BY: S. MATHUR
ARCHITECT	SANJAY MATHUR

MATHUR & DANIEL
ARCHITECTS ; PLANNERS
& INTERIOR DESIGNERS
14A/175B FAIZABAD ROAD LKO

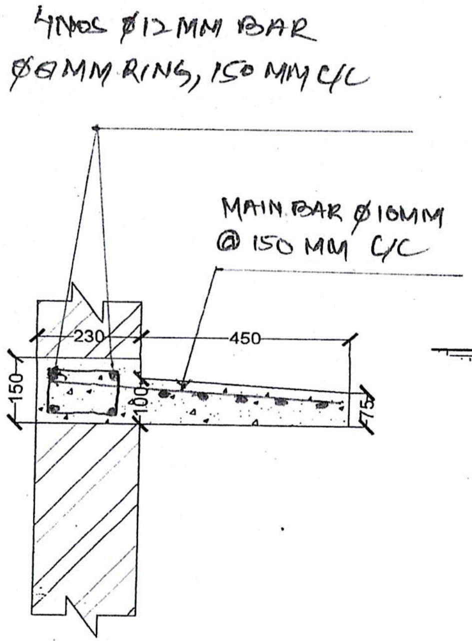

LINTEL AND PROJECTION

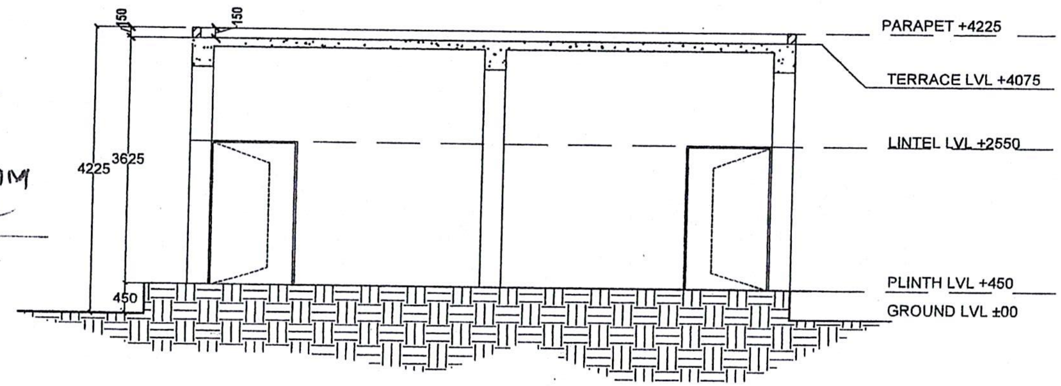

SECTION AA'

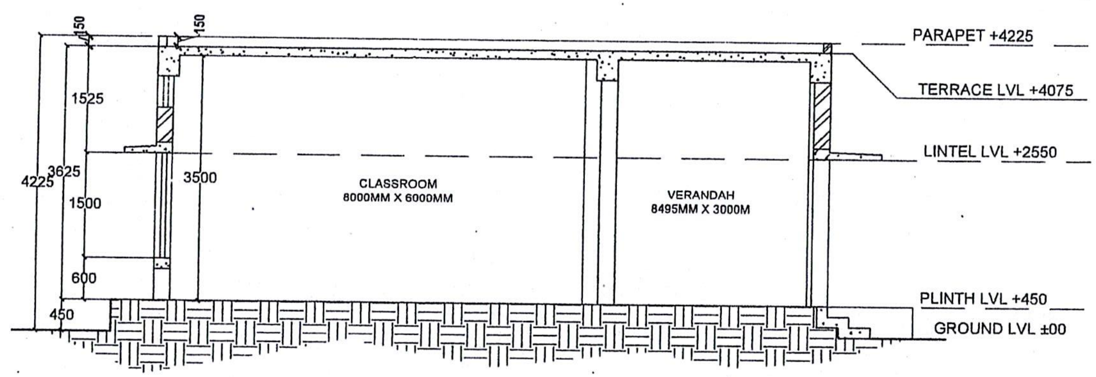

SECTION BB'

PROJECT
PROPOSED ADDITIONAL CLASS ROOM SINGLE STORY

(मनीष मिश्रा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

(सरोजा नन्द झा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

CONSTRUCTION. AGENCY	
DRG. TITLE SECTIONS	
NORTH	
DATE FEB-2024	SCALE
DWG. NO.	JOB NO.
DEALT BY ARTI	CHECKED BY S. MATHUR
ARCHITECT SANJAY MATHUR	

MATHUR & DANIEL
ARCHITECTS ; PLANNERS & INTERIOR DESIGNERS
14A/175B FAIZABAD ROAD LKO

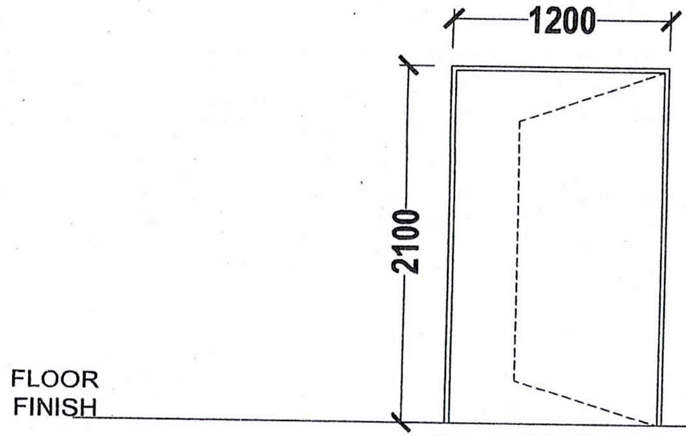

D1-1200X2100
G.F=2 NOS

DOOR/WINDOWS

S.No.	TAG	WIDTH	SILL	LINTEL	NOS.	REMARKS
01	D1	1200X2100	00	2100	02	-
02	W	1800X1500	600	2100	02	-
03	V	600X450	2750	3200	02	-

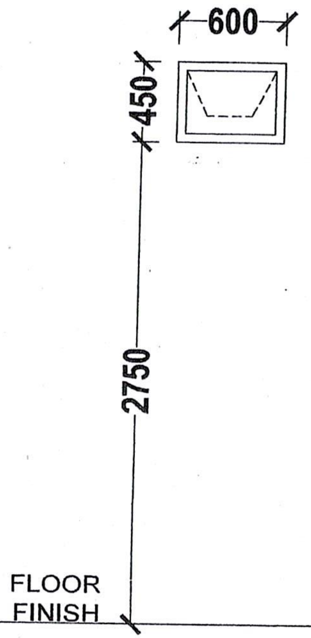

V-600X450
G.F=2NOS

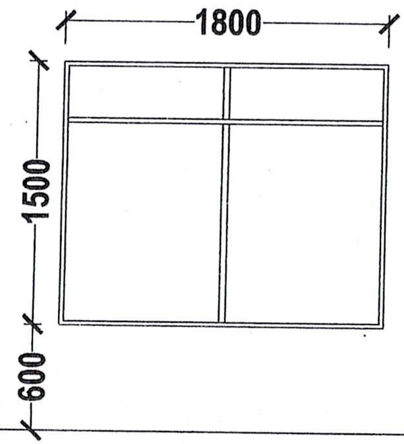

W-1800X1500
G.F=2 NOS

PROJECT

PROPOSED ADDITIONAL CLASSROOM SING STORY

(मनीष मिश्रा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

(सरोजा नन्द झा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

CONSTRUCTION. AGENCY

DRG. TITLE

DOOR WINDOW SCHEDULE

NORTH

DATE FEB-2024

SCALE

DWG. NO.

JOB NO.

DEALT BY ARTI

CHECKED BY S. MATHUR

ARCHITECT

SANJAY MATHUR

MATHUR & DANIEL
ARCHITECTS ; PLANNERS & INTERIOR DESIGNERS
14A/175B FAIZABAD ROAD LKO

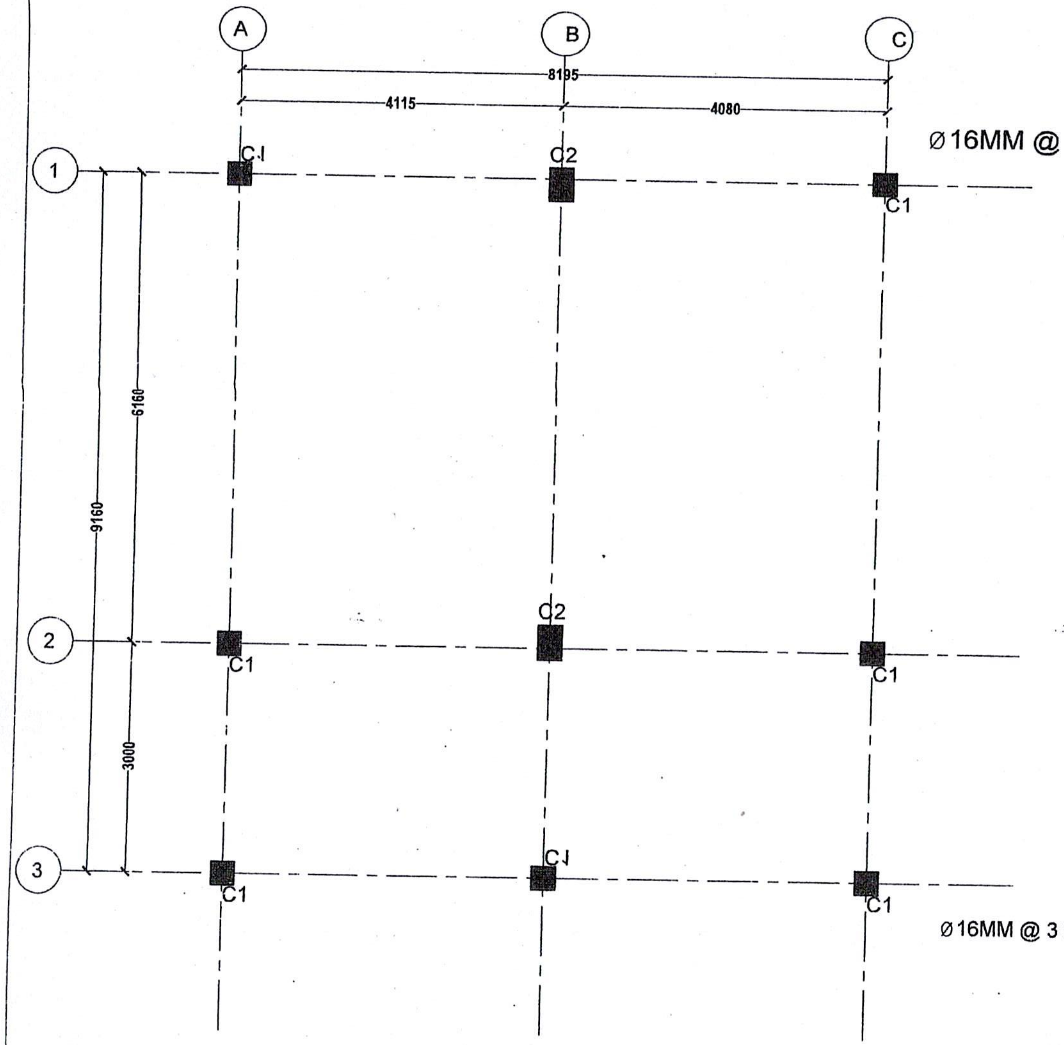

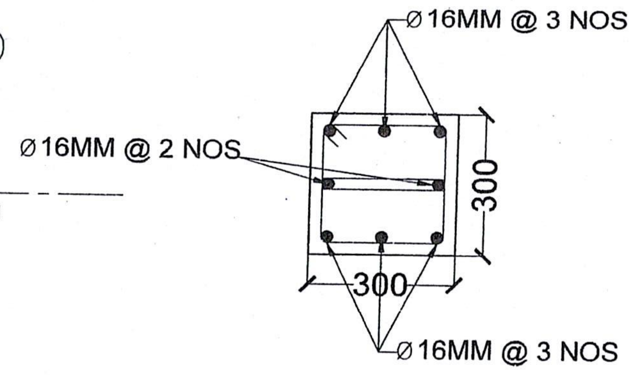

C1 (COLUMN)

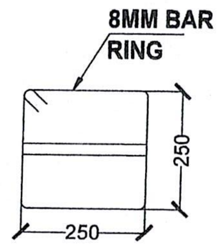

C1 (COLUMN RING)

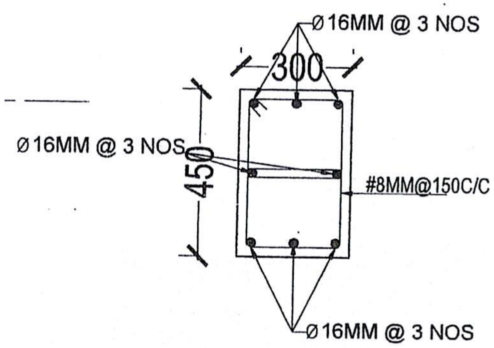

C2 (COLUMN)

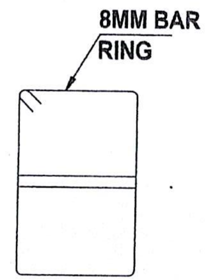

C2 (COLUMN RING)

PROJECT
PROPOSED ADDITIONAL CLASS ROOM SINGLE STORY

(मनीष मिश्रा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

(सरोजा नन्द झा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

CONSTRUCTION. AGENCY	
DRG. TITLE	COLUMN CENTER LINE PLAN
NORTH	
DATE FEB-2024	SCALE
DWG. NO.	JOB NO.
DEALT BY ARTI	CHECKED BY S. MATHUR
ARCHITECT SANJAY MATHUR	

MATHUR & DANIEL
ARCHITECTS ; PLANNERS
& INTERIOR DESIGNERS
14A/175B FAIZABAD ROAD LKO

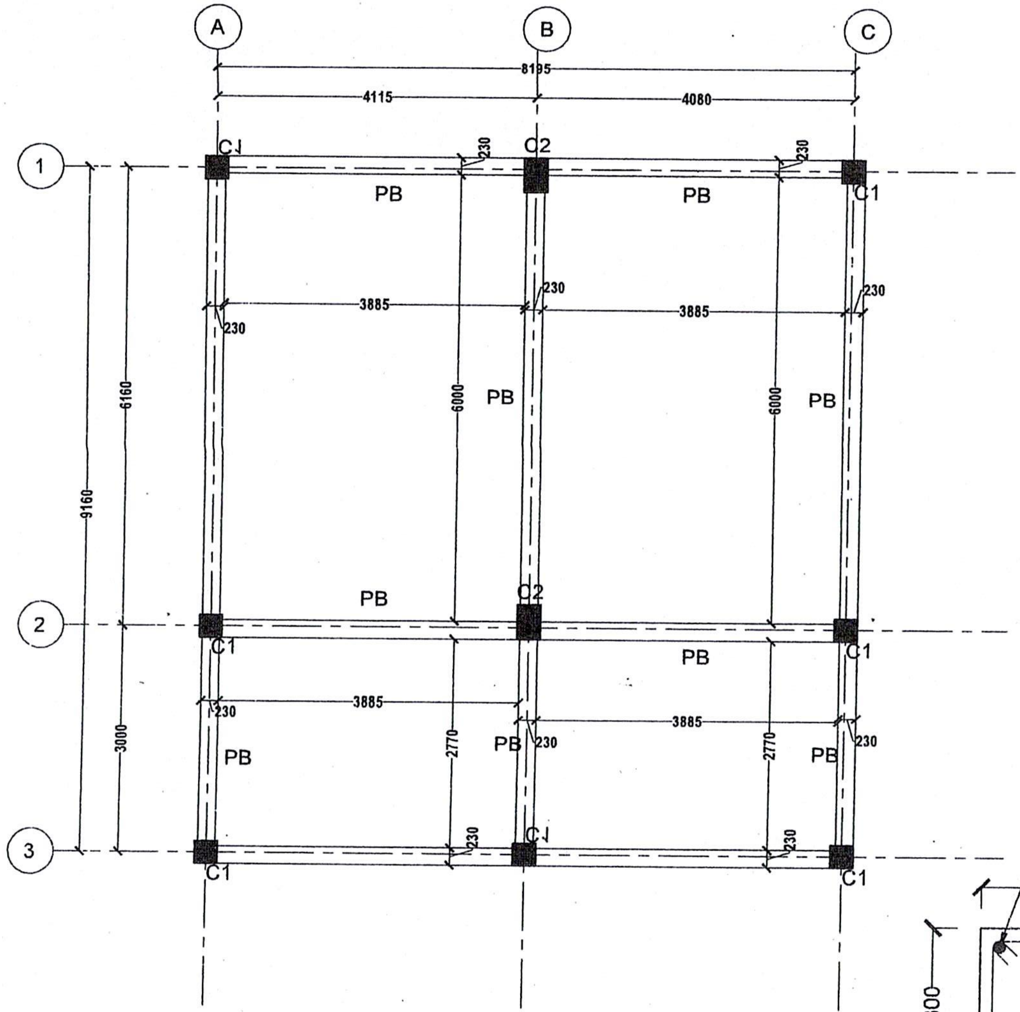

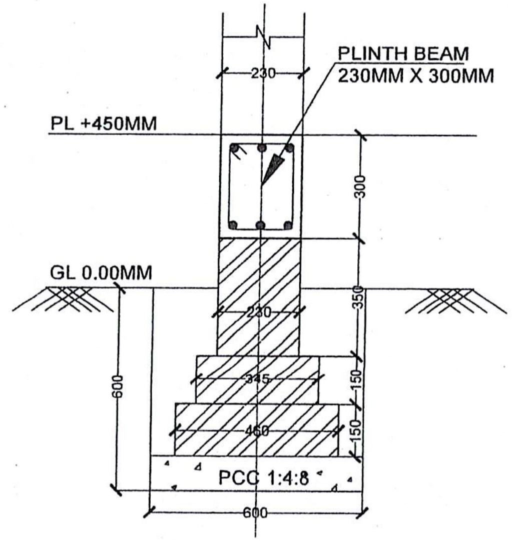

FOUNDATION BELOW PLINTH BEAMS

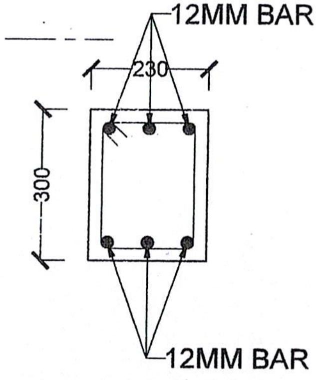

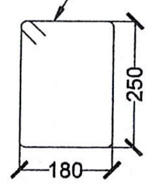

PB (PLINTH BEAM)

PB (PLINTH BEAM RING)

PROJECT
PROPOSED ADDITIONAL CLASS ROOM SINGLE STORY

(मनीष मिश्रा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

(सरोजा नन्द झा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना

CONSTRUCTION. AGENCY	
DRG. TITLE: PLINTH BEAM PLAN	
NORTH	
DATE: FEB-2024	SCALE
DWG. NO.	JOB NO.
DEALT BY: ARTI	CHECKED BY: S. MATHUR
ARCHITECT: SANJAY MATHUR	

MATHUR & DANIEL
ARCHITECTS ; PLANNERS & INTERIOR DESIGNERS
14A/175B FAIZABAD ROAD LKO

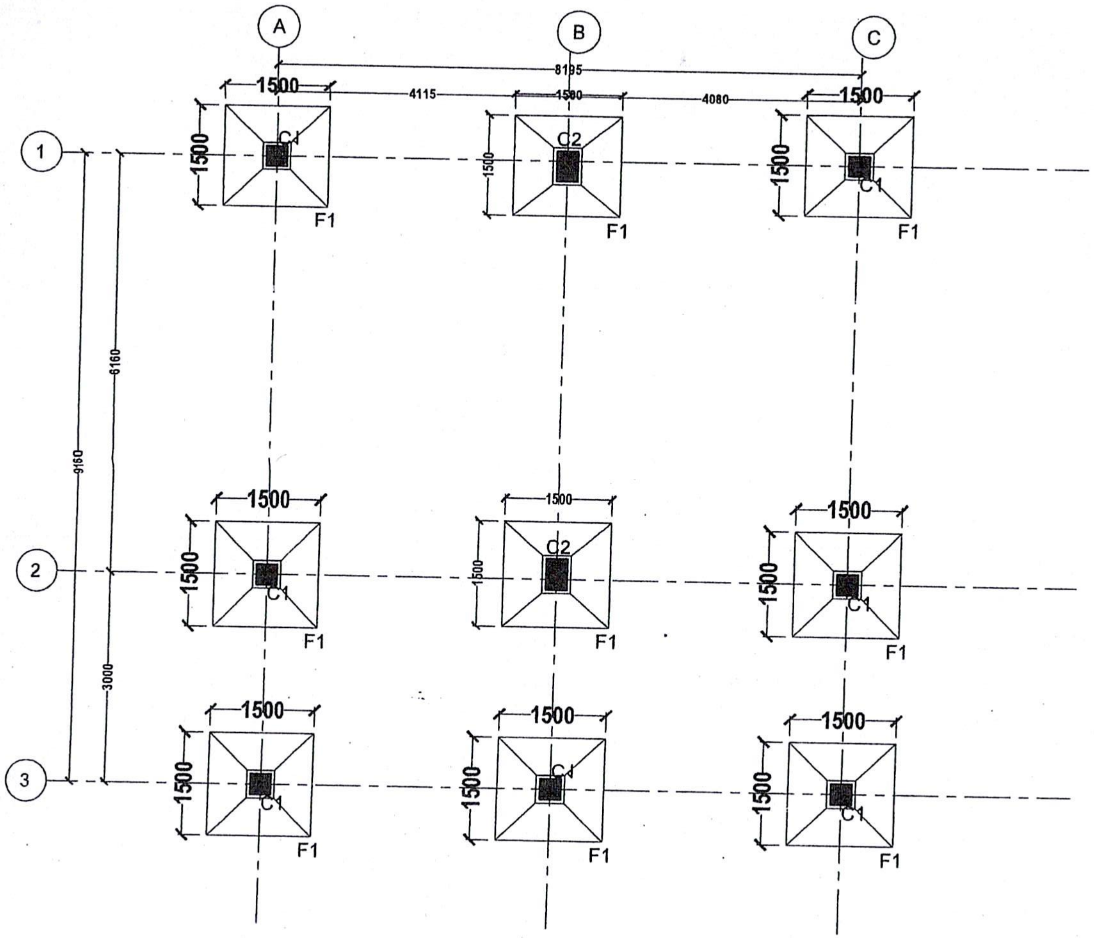

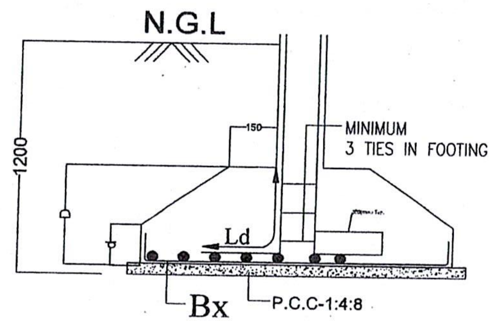

TYPICAL ISOLATED FOOTING SECTION (1-1)

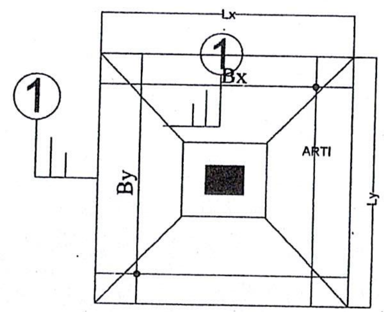

TYPICAL ISOLATED FOOTING PLAN

FOOTING LABEL	Lx	Ly	D	d	BOTTOM REINFORCEMENT		NOTE
					Bx // TO SHORTER DIRECTION	By // TO LONGER DIRECTION	
F1	1500	1500	350	200	T10@150c/c	T10@150c/c	ISOLATED

PROJECT
PROPOSED ADDITIONAL CLASS ROOM SINGLE STORY WITH STAIRS

(मनीष मिश्रा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

(सरोजा नन्द झा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

CONSTRUCTION. AGENCY

DRG. TITLE
FOOTING PLAN

NORTH

DATE	SCALE
FEB-2024	
DWG. NO.	JOB NO.
DEALT BY	CHECKED BY
	S. MATHUR

ARCHITECT
SANJAY MATHUR

MATHUR & DANIEL
ARCHITECTS ; PLANNERS & INTERIOR DESIGNERS
14A/175B FAIZABAD ROAD LKO

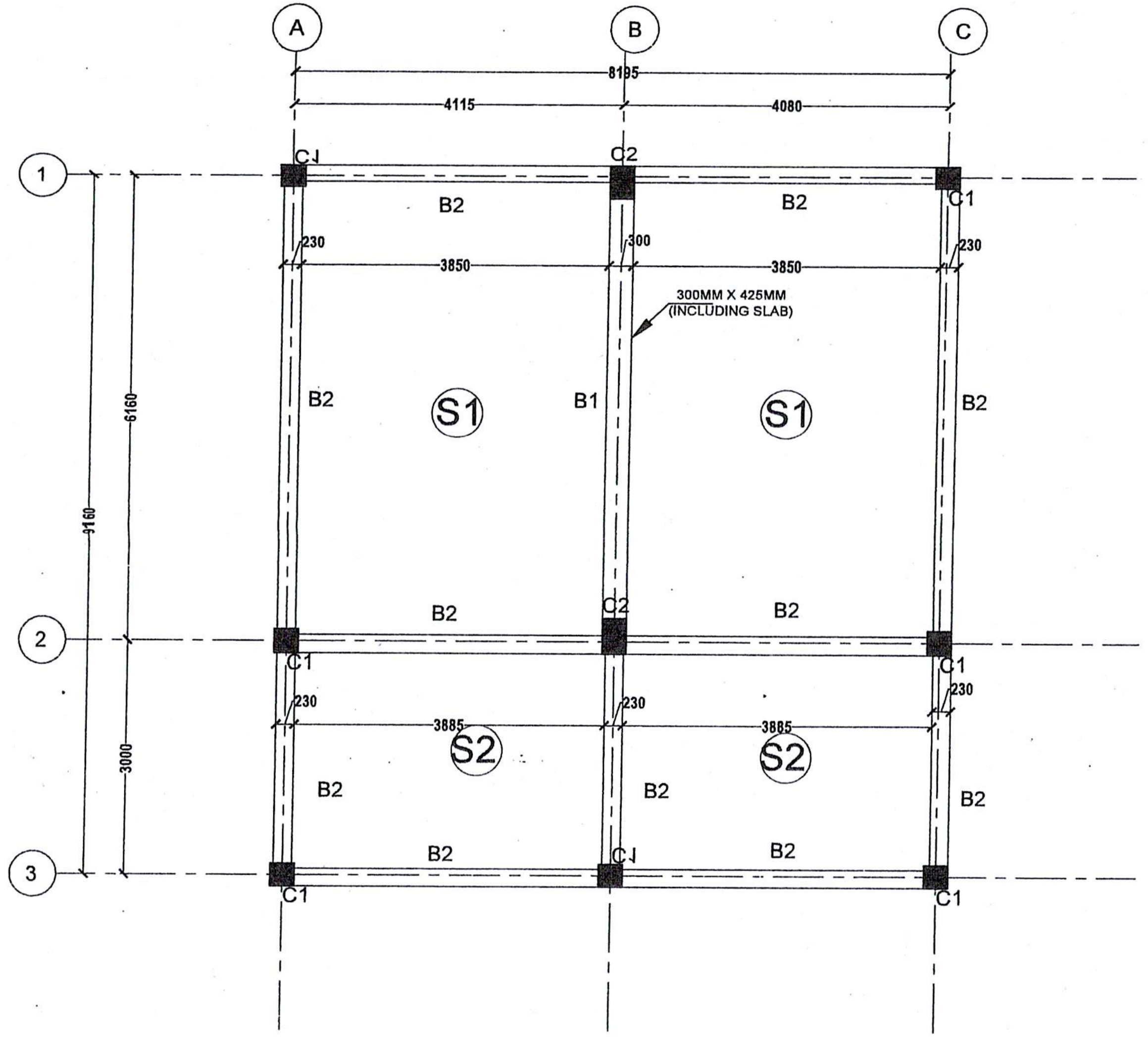

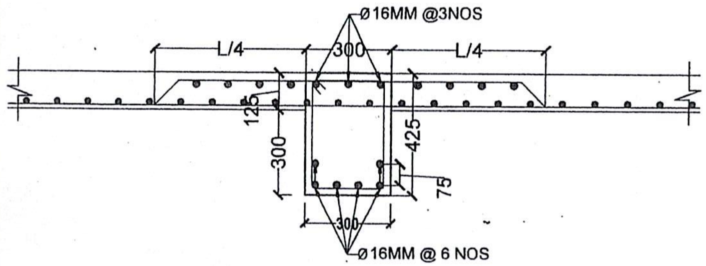

BEAM B1 (300 X 425) WITH 125MM SLAB

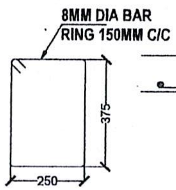

B1 (BEAM RING)

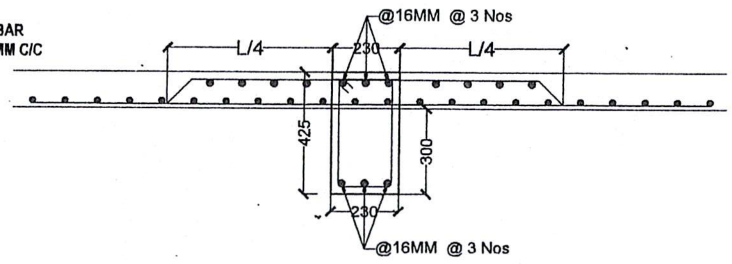

BEAM B2 (230X 425) WITH 125MM SLAB

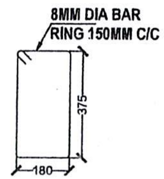

(BEAM B2 RING)

PROJECT

PROPOSED ADDITIONAL CLASS ROOM SINGLE STORY WITH STAIRS

(मनीष मिश्रा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

(सरोजा नन्द झा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

CONSTRUCTION. AGENCY	
DRG. TITLE TYPICAL SLAB BEAM PLAN	
NORTH	
DATE FEB-2024	SCALE
DWG. NO.	JOB NO.
DEALT BY ARTI	CHECKED BY S. MATHUR
ARCHITECT SANJAY MATHUR	

MATHUR & DANIEL
ARCHITECTS ; PLANNERS & INTERIOR DESIGNERS
14A/175B FAIZABAD ROAD LKO

दिव्यांग शौचालय

संलग्नक-9

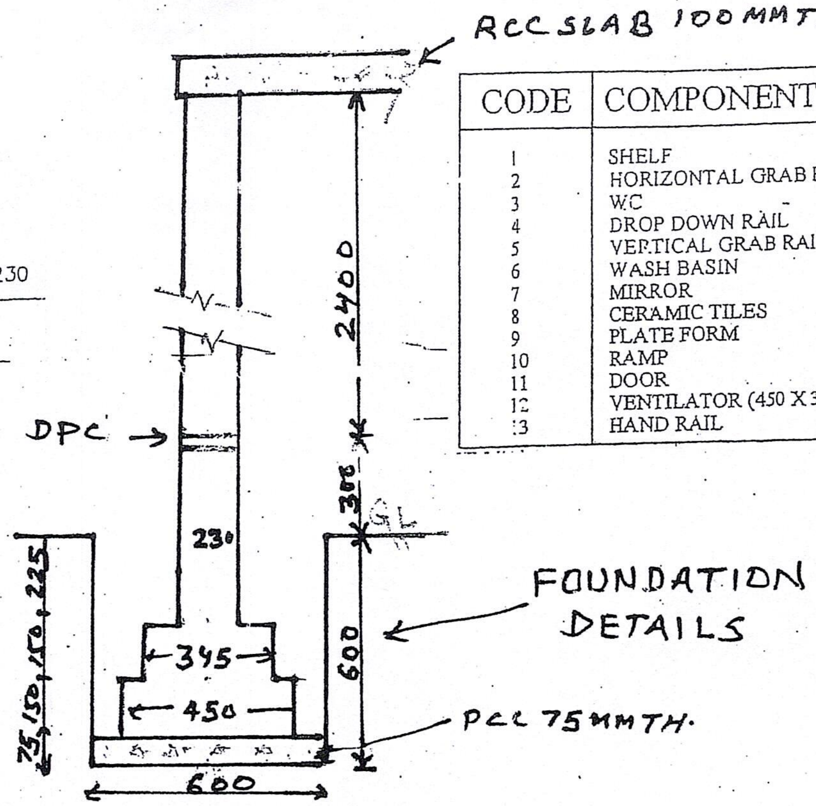

CODE	COMPONENTS
1	SHELF
2	HORIZONTAL GRAB RAIL
3	W.C
4	DROP DOWN RAIL
5	VERTICAL GRAB RAIL
6	WASH BASIN
7	MIRROR
8	CERAMIC TILES
9	PLATE FORM
10	RAMP
11	DOOR
12	VENTILATOR (450 X 300)
13	HAND RAIL

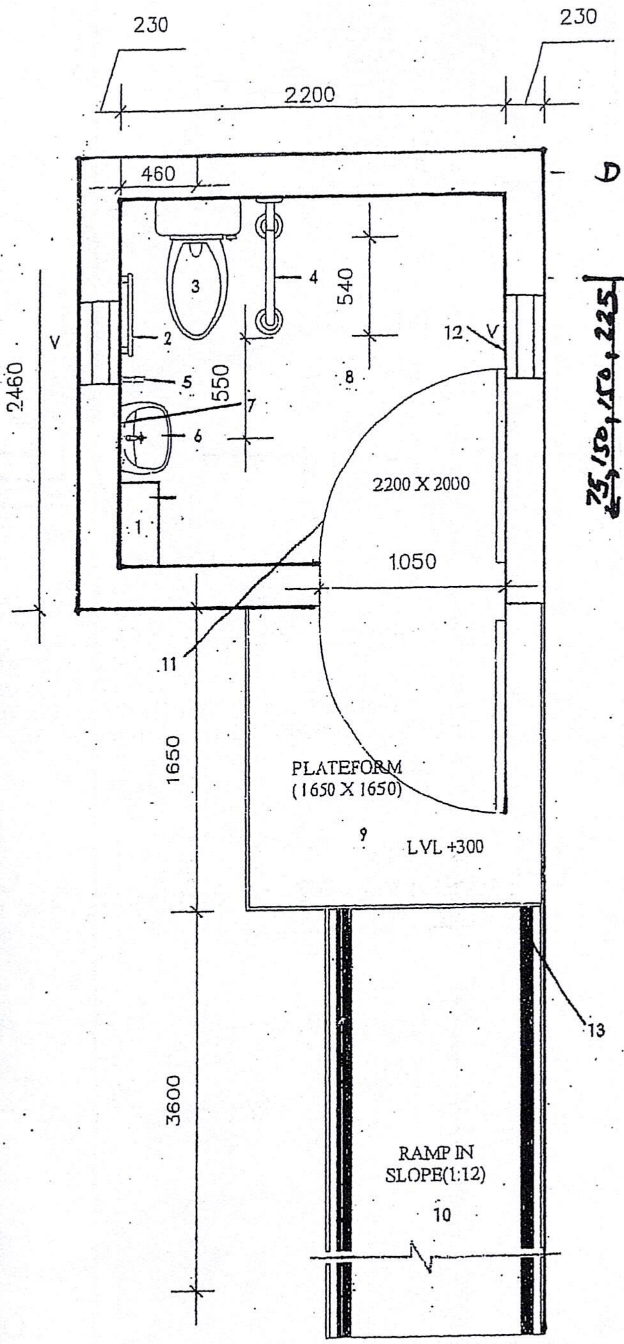

PLAN FOR CWSN TOILET

NOTES:
1. ALL DIMENSION ARE IN MM ONLY WRITTEN DIMENSION SHALL BE FOLLOWED
2. INTERNAL DIMENSION OF CWSN TOILET IS 2200 X 2000 mm.
5. SIZE OF DOOR IS 1200X1800 MM.
6. RAMP SHALL BE IN 1:12 SLOPE
9. WORK SHALL BE EXECUTED BY SKILLED MASSON AND MISTRIES UNDER DEEP SUPERVISION OF ENGINEERS.

This design as per NBC-2016 Norms.

(शैलेन्द्र ...) 20
ज्येष्ठ वास्तुविद
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
उ०प्र० लोक निर्माण विभाग
लखनऊ

DESIGN 01

TITLE OF DRAWING

DESIGN OF CWSN TOILET FOR PRIMARY AND UPPAR PRIMARY SCHOOL (CONVERSION OF ADDITIONAL BOYS TOILET TO CWSN TOILET)

DESIGNED & DRAWN BY

(S.N. JHA)	(MANISH MISHRA)
J.E. SAMAGRA SHIKSHA	J.E. SAMAGRA SHIKSHA